5

पूर्ति का समय एवं मूल्य
[TIME AND VALUE OF SUPPLY]

इस अध्याय में संदर्भित धाराएं जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं हों, CGST Act से सम्बन्धित हैं।

इकाई-I : पूर्ति का समय
(UNIT-I : TIME OF SUPPLY)

सीखने का परिणाम (Learning Outcomes)

इस इकाई के पठन के पश्चात् आप वह समय ज्ञात करने हेतु योग्य होंगे, जब GST भुगतान करने हैं, दायित्व का उदय होता है।

- माल/सेवाओं की ऐसी पूर्ति जब अग्रिम प्रभार GST देय है।
- माल/सेवाओं की ऐसी पूर्ति जहाँ प्रतिलोमी प्रभार के अधीन GST देय है।
- माल और सेवाओं में विनिमयशील प्रपत्रों की पूर्ति।
- शेष मामलों में माल/सेवाओं की पूर्ति।
- ब्याज विलम्ब शुल्क/अर्थदण्ड आदि के देरी से प्रतिफल।
- समस्या समाधान में माल एवं/या सेवाओं की पूर्ति के समय से सम्बन्धित अवधारणाओं का प्रयोग।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इकाई अवलोकन ☞

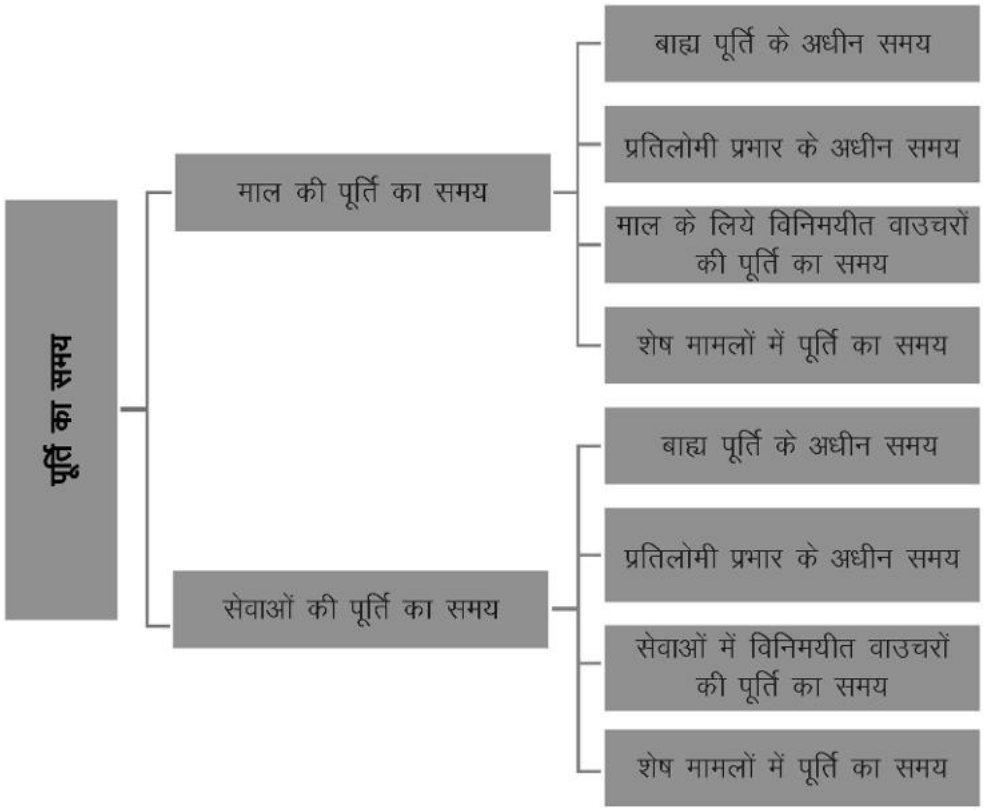

1. परिचय (Introduction)

माल/सेवाओं की पूर्ति पर GST देय होता है। पूर्ति में ऐसे तत्व होते हैं, जिन्हें समय में पृथक् किया जाता है जैसे क्रय आदेश/समझौता, माल का प्रेषण, माल की सुपुर्दगी अथवा सेवाओं का प्रावधान या निष्पादन, अभिलेखों में प्रविष्टि, भुगतान और भुगतान अभिलेखों में प्रविष्टि या बैंक में जमा।

अतः समय के किस बिन्दु पर GST देय होता है ? क्या यह उस समय देय होता है जब माल/सेवाओं की पूर्ति का समझौता किया जाता है अथवा जब माल भेजा जाता है अथवा सेवाएं प्रदान की जाती हैं अथवा जब बीजक निर्गमित किया जाता है अथवा जब भुगतान किया जाता है। जब माल भेजा जाता है, तब क्या होता है। तब क्या होगा जब सेवा भविष्य में की जाती है। 'पूर्ति के समय' सम्बन्धी प्रावधान ऐसे सभी प्रश्नों का समाधान प्रदान

Point in time when the liability to pay tax arises

© The Institute of Chartered Accountants of India

करते हैं और अन्य प्रश्नों का जिनसे CGST और SGST/UTGST (राज्य के अन्दर पूर्ति) के भुगतान के दायित्व के समय सम्पन्न होते हो। और IGST (अन्तर्राज्यीय पूर्ति) क्योंकि पूर्ति का समय उस समय बिन्दु को निश्चित करता है जब कर भुगतान दायित्व उदय होता है।

CGST Act की धारा 12 और 13 के अधीन माल और सेवाओं[1] की पूर्ति के पृथक् समय हेतु प्रावधान हैं। धारा 14 में उल्लिखित प्रावधान माल या सेवाओं की पूर्ति पर कर की दर में परिवर्तन की स्थिति में समय निर्धारण सम्बन्धी प्रावधान हैं। धारा 12 और 13 उन प्रावधानों का उपयोग करती है जो धारा 31 में जब कर बीजक को निर्गमित करने से सम्बन्धित है, अतः यह लाभदायक होगा कि अध्याय 8 का संदर्भ किया जाय जो कि कर बीजक क्रेडिट एवं डेबिट नोट्स, ई–वे बिल, से सम्बन्धित हैं।

बीजक का निर्गमन भुगतान ई–वे बिल की प्राप्ति, सेवाओं का प्रावधान लेखा पुस्तकों में सेवाओं की प्राप्ति, पूर्ति के भुगतान का समय निर्धारित करने हेतु विश्लेषित किया जाता है जब बाह्य पूर्ति पर कर देय होता है। जब प्रतिलोमी प्रभार के अधीन कर देय होता है, माल की प्राप्ति की तिथि कर भुगतान की तिथि आदि का विश्लेषण पूर्ति के समय के निर्धारण के लिए किया जाता है। पूर्ति के समय के निर्धारक प्रावधान, कर संग्रहण की घटना को आवश्यक रूप से निकट लाने का प्रयास करते हैं।

इस इकाई में आगामी पृष्ठों में धारा 12 एवं 13 विश्लेषित है, जिससे माल/सेवाओं की पूर्ति के समय का निर्धारण किया जाता है। वैधानिक प्रावधानों के अध्ययन के समय परिभाषाएं साथ में संदर्भित की जानी चाहिये, जिससे प्रयुक्त शब्द का वास्तविक अर्थ समझा जा सके।

CGST Act के अंतर्गत पूर्ति के समय के प्रावधान IGST Act की धारा 20 के माध्यम से IGST Act पर भी लागू किये गए हैं।

2. प्रासंगिक परिभाषाएँ (Relevant Definitions)

- **सम्बन्धित उद्यम** का वही आशय है जोकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92A में दिया गया है [धारा 2(12)]
- विस्तार के तौर पर, किसी अन्य उद्यम के संबंध में एक संबद्ध उद्यम का मतलब है, एक उद्यम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या एक या एक से अधिक मध्यस्थों के माध्यम से प्रबंधन या नियंत्रण या दूसरे उद्यम की पूंजी में भाग लेता है।
- **दस्तावेज** में शामिल हैं किसी भी प्रकार लिखित या छपे हुए अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों जैसा कि सूचना तकनीक अधिनियम, 2000 की धारा 2 के वाक्य (t) में दिया गया है [धारा 2(41)]
- **माल** का आशय सभी प्रकार की चल सम्पत्ति से है जिसमें मुद्रा एवं प्रतिभूतियाँ शामिल नहीं हैं, परन्तु वाद योग्य दावे, उगती हुई फसलें और घास भूमि से जुड़ी हुई भूमि के भाग

[1] माल या सेवाओं की पूर्ति के संदर्भ में कर की दर में परिवर्तन की स्थिति में पूर्ति के समय के निर्धारण से सम्बन्धित धारा 14 के प्रावधान अंतिम स्तर पर चर्चित किए जाएंगे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

के रूप में, ऐसी वस्तुएं शामिल हैं, जिन्हें जिनकी पूर्ति के लिये अथवा पूर्ति के अनुबन्ध के अधीन पृथक् करना सहमत था। [धारा 2(52)]

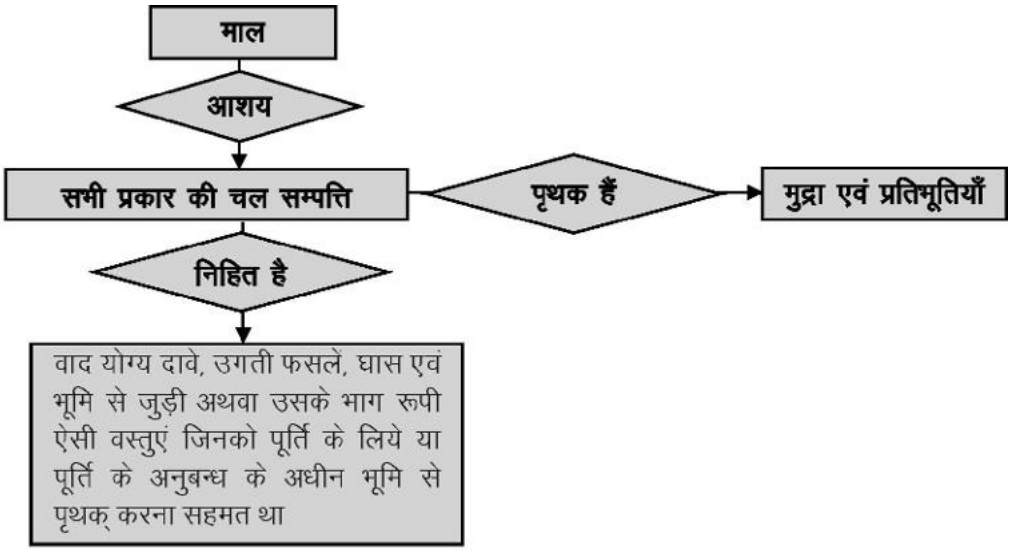

- **निर्दिष्ट** का आशय इस अधिनियम के अधीन GST परिषद् की अनुशंसा पर रचित नियमों के अधीन निर्धारित हैं। [धारा 2(87)]
- **प्रतिलोम प्रभार** का आशय एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (3) या उप–धारा (4) या धारा 9 की उप–धारा (3) या उप–धारा (4) के अंतर्गत माल या सवाओं या दोनों के पूर्तिकर्ता के बजाय माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के प्रापक द्वारा कर भुगतान करने के दायित्व से है। [धारा 2(98)]
- **सेवाएं** का आशय माल, मुद्रा और प्रतिभूतियों को छोड़कर प्रत्येक वस्तु से है और इसमें शामिल है मुद्रा के उपयोग या उसके नकदी अथवा अन्य किसी रूप में, मूल्य में या अन्य किसी रूप में, या मुद्रा में या मूल्य में रूपान्तरण जिसके लिये पृथक् प्रतिफल वसूल किया गया हैं।

  स्पष्टीकरण—संदेह को हटाने के लिए, यह इस माध्यम से स्पष्ट किया जाता है कि अभिव्यक्ति "सेवा" में प्रतिभूतियों के सौदों की सुविधा और व्यवस्था शामिल है। [धारा 2(102)]

© The Institute of Chartered Accountants of India

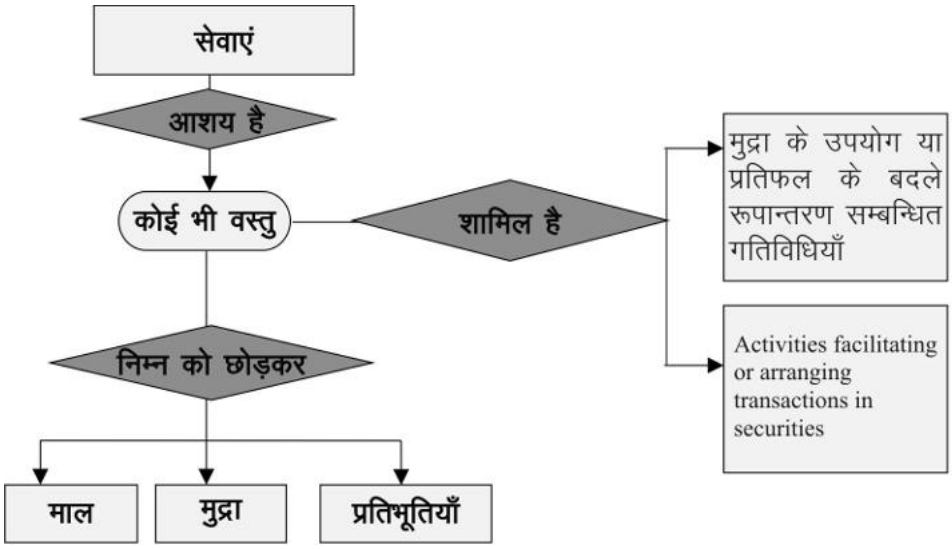

➢ **पूर्तिकर्ता**—माल/सेवाओं के सम्बन्ध में इसका आशय ऐसे व्यक्ति से है उपर्यक्त माल/सेवाओं की पूर्ति करता है और इसमें शामिल है कोई एजेन्ट, जो माल/सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में उसकी ओर से कोई कार्य करता है। [धारा 2(105)]

➢ **प्राप्तकर्ता** माल/सेवाओं की पूर्ति का प्राप्तकर्ता का आशय है :

(a) यदि माल/सेवाओं की पूर्ति के लिये प्रतिफल देय है, ऐसा व्यक्ति जोकि प्रतिफल भुगतान के लिये दायी है;

(b) यदि माल/सेवाओं की पूर्ति के लिये कोई प्रतिफल देय नहीं है ऐसा व्यक्ति जिसको माल की सुपुर्दगी की गयी है या उपलब्ध करायी गयी है अथवा उपयोग के लिये जिसको अधिकार दिया गया है या उपलब्ध कराया गया है; और

(c) सेवाओं की पूर्ति के लिये कोई प्रतिफल देय नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसको सेवा प्रदान की गयी है।

और ऐसा संदर्भ किसी व्यक्ति के लिये, जिसको पूर्ति की गयी है, उसको पूर्ति के प्राप्तकर्ता का संदर्भ समझा जायेगा, और माल/सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में प्राप्तकर्ता की ओर से कोई एजेन्ट भी इसमें शामिल होगा। [धारा 2(93)]

© The Institute of Chartered Accountants of India

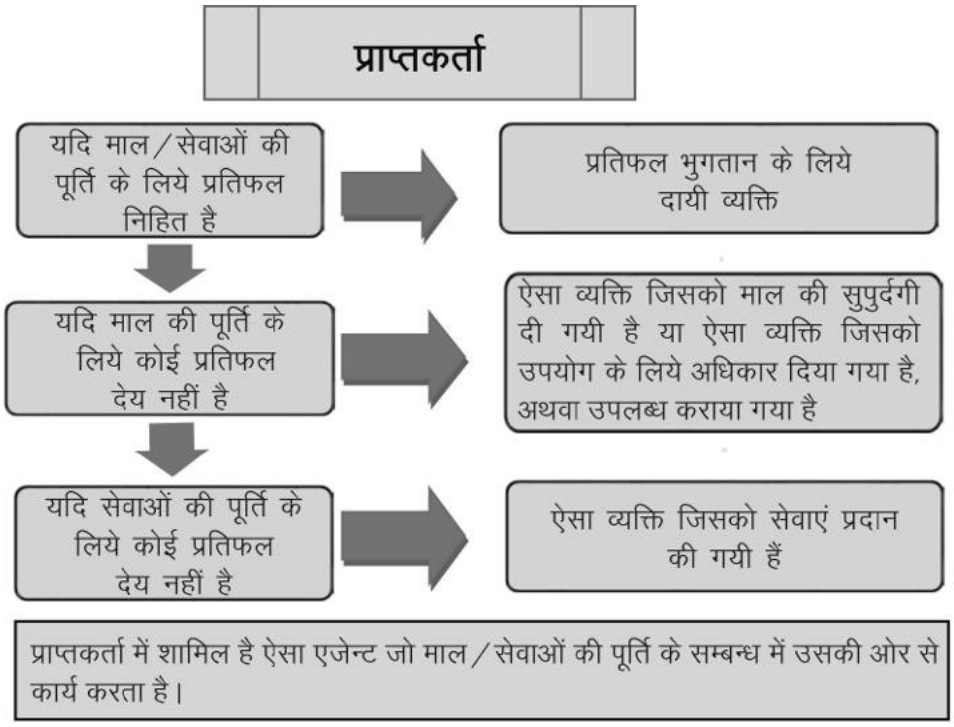

- **वाउचर** ऐसा प्रपत्र है जिसको माल/सेवाओं की पूर्ति के लिये प्रतिफल या प्रतिफल के भाग के लिये स्वीकार किया जाता है और यदि माल/सेवाओं की पूर्ति की जानी है, अथवा प्रत्याशित पूर्तिकर्ता की पहचान या तो प्रपत्र पर निर्दिष्ट होती है अथवा सम्बन्धित प्रपत्रों में होती है, जिसमें ऐसे प्रपत्र के उपयोग की शर्तें एवं प्रतिबन्ध शामिल हैं। [धारा 2(118)]

3. माल की पूर्ति का समय [धारा 12] [Time of Supply of Goods (Section 12)]

वैधानिक प्रावधान		
धारा 12	**माल की पूर्ति का समय**	
उपधारा	**वाक्य**	**विवरण**
(1)		माल पर कर भुगतान का दायित्व तब उदय होता है, जब इस धारा के प्रावधानों के अनुसार, माल की पूर्ति का समय निर्धारित होता है।
(2)	माल की पूर्ति का समय निम्नांकित में से पूर्ववर्ती तिथि होगी : (a) ऐसे माल की पूर्ति के सम्बन्ध में धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन जिस तिथि को बीजक निर्गमित किया जाता है और ऐसी अंतिम तिथि जिस पर ऐसा करना अपेक्षित था; अथवा (b) वह तिथि जब पूर्तिकर्ता, पूर्ति के सम्बन्ध में भुगतान प्राप्त करता है :	

© The Institute of Chartered Accountants of India

	बशर्ते कि यदि कर योग्य माल का पूर्तिकर्ता, कर बीजक में प्रकट राशि से ₹ 1,000 तक अधिक राशि का भुगतान प्राप्त करता है, ऐसे आधिक्य के सम्बन्ध में पूर्ति का समय ऐसे पूर्तिकर्ता के विकल्प पर ऐसी आधिक्य राशि सम्बन्धी बीजक के निर्गमन की तिथि होगी।
	स्पष्टीकरण (1) : वाक्य (a) और (b) के उद्देश्यों के लिये ''पूर्ति'' को बीजक में उल्लिखित सीमा तक, अथवा भुगतान तक, जैसी भी स्थिति हो, किया हुआ माना जायेगा। (2) वाक्य (b) के उद्देश्य के लिये ''वह तिथि जिस दिन पूर्तिकर्ता भुगतान प्राप्त करता है'', वह तिथि होगी, जब भुगतान की प्रविष्टि उसकी लेखा पुस्तकों में होती है, अथवा वह तिथि जब भुगतान उसके बैंक खाते में क्रेडिट होता है, जो भी पहले हो।
(3)	ऐसी पूर्तियों के मामलों में, जिनके सम्बन्ध में कर का भुगतान या देयता प्रतिलोमी प्रभार के अधीन है, पूर्ति का समय निम्नांकित में से पूर्ववर्ती तिथि होगी, नामत : (a) माल की प्राप्ति की तिथि; अथवा (b) भुगतान की तिथि जैसी कि प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट है, अथवा वह तिथि जिस दिन भुगतान बैंक खाते में डेबिट किया गया है, जो भी पहले हो, अथवा (c) पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक अथवा अन्य किसी प्रपत्र, चाहे किसी नाम से जाना जाय की तिथि से तुरन्त 30 दिन पश्चात् की तिथि उल्लिखित है कि यदि उपर्युक्त (a), (b) या (c) के अधीन पूर्ति के समय का निर्धारण सम्भव नहीं है, पूर्ति का समय प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि होगी
(4)	पूर्तिकर्ता द्वारा वाउचर की पूर्ति के मामले में, पूर्ति का समय होगा (a) यदि पूर्ति उस समय पहचाने जाने योग्य है, वाउचर्स की निर्गमन की तिथि; अथवा (b) अन्य सभी मामलों में, वाउचर्स के शोधन की तिथि
(5)	यदि पूर्ति के समय का निर्धारण उपर्युक्त उपधारा (2), उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन सम्भव नहीं है, पूर्ति का समय होगा : (a) यदि आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत की जानी हैं, वह तिथि जिस दिन विवरणी प्रस्तुत की गयी है; अथवा (b) अन्य किसी मामलें में, वह तिथि जिस दिन कर का भुगतान किया गया है
(6)	यदि प्रतिफल भुगतान में देरी के कारण ब्याज, विलम्ब शुल्क, या अर्थदण्ड के कारण

© The Institute of Chartered Accountants of India

	पूर्ति के मूल्य में किसी वृद्धि की सीमा तक पूर्ति का समय वह तिथि होगी जिस दिन पूर्तिकर्ता ऐसी मूल्य वृद्धि को प्राप्त करता है।
धारा 31	**कर बीजक (पूर्ति के समय की यथोचितता की सीमा तक)**
1	कोई पंजीकृत व्यक्ति जो कर योग्य माल की पूर्ति करता है, निम्न के होने या उससे पूर्व समय :
	(a) यदि पूर्ति में माल का संचालन निहित हो, प्राप्तकर्ता को पूर्ति के लिये माल की निकासी का समय; अथवा
	(b) अन्य किसी मामले में, प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी करना अथवा उपलब्ध कराना
	माल का विवरण, मात्रा एवं माल प्रदर्शक बीजक का निर्गमन किया जायेगा जिसमें वसूल कर के साथ अन्य निर्धारित विवरण दिये जायेंगे।
	उल्लिखित है कि सरकार परिषद् की अनुशंसा पर ऐसे माल या पूर्ति की श्रेणियों अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, जिनके सम्बन्ध में कर बीजक ऐसे समय और रीति से जो निर्धारित है, निर्गमित किया जायेगा।
4	माल की ऐसी निरन्तर पूर्ति के मामले में, जहाँ बारम्बार लेखा विवरण अथवा बारम्बार भुगतान निहित हो, बीजक का निर्गमन ऐसे विवरण या ऐसे भुगतान, जैसी भी स्थिति हो, की प्राप्ति पर अथवा उससे पूर्व किया जायेगा।
7	उपधारा (1) में उल्लिखित किसी बात पर ध्यान नहीं देते हुए यदि माल को क्रय या वापसी के आधार पर भेजा जाना है, माल की पूर्ति से पूर्व माल की निकासी पर या उससे पूर्व अथवा निकासी की तिथि से 6 माह के अन्दर, जो भी पहले हो, बीजक निर्गमित किया जायेगा।

धारा 12 धारा 31 के साथ पढ़ी जानी चाहिए, जो विस्तार से उस तिथि को निर्दिष्ट करती है जिस पर माल की पूर्ति हेतु कर बीजक निर्गमित करना चाहिए।

विश्लेषण (Analysis)

धारा 12 में पूर्ति के समय का निर्धारण निम्नांकित स्थितियों में वर्णित है :

- ➔ पूर्तिकर्ता द्वारा माल की पूर्ति, जब पूर्तिकर्ता कर भुगतान के लिये दायी है;
- ➔ प्रतिलोमी प्रभार के अधीन कर योग्य माल की प्राप्ति;
- ➔ वाउचर्स की पूर्ति जिनका प्रयोग माल के भुगतान में किया जा सके;
- ➔ शेष मामले;

© The Institute of Chartered Accountants of India

➔ भुगतान में देरी के कारण ब्याज या विलम्ब शुल्क या अर्थदण्ड के कारण पूर्ति के मूल्य में वृद्धि।

हम विचार करेंगे कि प्रत्येक स्थिति में पूर्ति के समय का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है।

(i) माल की पूर्ति जहाँ पूर्तिकर्ता कर भुगतान हेतु देय होता है (बाह्य प्रभार) [धारा 12(2) की धारा 31 के साथ पढ़ें] [Supply of goods where supplier is liable to pay tax (forward charge) {Section 12(2) read with Section 31}]

धारा 12(2) के अनुसार जहाँ पूर्तिकर्ता पूर्ति पर कर भुगतान के लिये दायी होता है, पूर्ति का समय निम्नांकित में से पूर्ववर्ती होता है :

- बीजक निर्गमन की तिथि अथवा धारा 31 के अधीन बीजक निर्गमन की अंतिम तिथि, अथवा
- माल से सम्बन्धित भुगतान की प्राप्ति की तिथि

माल की पूर्ति हेतु प्राप्त अग्रिमों पर कर के भुगतान से विमुक्ति–माल की पूर्ति की स्थितियों के कर के भुगतान हेतु विशिष्ट प्रक्रिया पूर्ति का समय कर के भुगतान के साथ सम्बद्ध है। कर भुगतान करने हेतु दायित्व पूर्ति के समय उत्पन्न होता है तथा उसे निदिष्ट देय तिथि तक भुगतान किया जा सकता है।

धारा 148[2] द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार ने GST परिषद् की अनुशंसा पर अधिसूचना संख्या 66/2017 CT तिथि 15.11.2017 निर्गमित की यह निर्दिष्ट करने के लिए कि एक पंजीकृत व्यक्ति (संघटक पूर्तिकर्ता रहित) को धारा 12 (2) (a) में निर्दिष्टानुसार पूर्ति के समय माल की बाह्य पूर्ति पर GST का भुगतान करना चाहिए, अर्थात् बीजक के निर्गमन की तिथि या धारा 31 के अनुसार वह अंतिम तिथि जिस पर बीजक निर्गमित किया जाना था।

सरल शब्दों में, सभी कर भुगतानकर्ता (संघटक पूर्तिकर्ताओं रहित) माल की पूर्ति के सम्बन्ध में अग्रिम राशि की प्राप्ति के समय GST का भुगतान करने से विमुक्त हैं। सम्पूर्ण GST सिर्फ तभी देय होगा। जब ऐसे माल की पूर्ति हेतु बीजक निर्गमित किया गया हो या निर्गमित किया जाना हो।

एक संघटक पूतिकर्ता को उसके द्वारा देय कर के स्थान पर, एक तिमाही हेतु उसकी राज्य/संघीय क्षेत्र में कुल बिक्री' पर लागू निर्दिष्ट दर से गणना की गई एक राशि का भुगतान करना होगा। इसलिए, संघटक पूर्तिकर्ता को प्राप्त अग्रिम राशि पर किसी कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह करयोग्य पूर्तियों का भाग नहीं होती तथा बदले में तिमाही के अन्त में (करावधि)[3] 'एक राज्य/संघीय क्षेत्र में बुल बिक्री का भाग भी नहीं होती।

---

[2] धारा 148 के प्रावधान अंतिम स्तर पर चर्चित किए जाएंगे। धार 148 में प्रावधान है कि सरकार, परिषद की अनुशंसा पर तथा निर्दिष्टानुसार शर्तों एवं संरक्षणों के अधीन पंजीकृत व्यक्तियों को विशिष्ट श्रेणियों को अधिसूचित कर सकती है तथा पंजीकरण विवरणी का जमा करना, कर का भुगतान तथा ऐसे व्यक्तियों प्रशासन सम्बन्धित विवरणों सहित ऐसे व्यक्तियों द्वारा अनुसरित विशिष्ट प्रक्रिया को अधिसूचित कर सकती है।

[3] भावी पूर्तियों हेतु प्राप्त अग्रिम राशियों पर GST-अध्याय 6 CBT GST फ्लायर पर आधारित।

© The Institute of Chartered Accountants of India

''भुगतान प्राप्ति की तिथि'' का अर्थ (Meaning of "Date of receipt of payment")

उपर्युक्त स्थिति में ''भुगतान की प्राप्ति'' की तिथि का आशय उस तिथि से है जब (पूर्तिकर्ता) भुगतान प्राप्त करने वाली संस्था की लेखा पुस्तकों में भुगतान की प्रविष्टि की गयी है, अथवा उसके बैंक खाते में भुगतान क्रेडिट किया गया है, जो भी पहले हो।

"जिस हद तक चालान या भुगतान में माल की आपूर्ति शामिल है" का महत्व (Significance of "to the extent the invoice or payment covers the supply of goods")

मान लीजिए कि प्रतिफल के एक भाग का भुगतान अग्रिम रूप से किया जाता है या आंशिक भुगतान के लिए बीजक जारी किया जाता है; आपूर्ति की अवधि पूरी आपूर्ति को कवर नहीं करेगी। माना जाता है कि यह आपूर्ति उस सीमा तक की गई है जब तक कि इसे चालान या भाग अग्रिम भुगतान द्वारा कवर किया गया हो।

100 किलो कच्चे माल की आपूर्ति करने की लिए A Ltd., B. Ltd. के साथ एक समझौता करता है। हालांकि, A Ltd. केवल 80 किलो कच्चे माल की आपूर्ति करता है और उसी के लिए चालान जारी करता है। यहाँ, आपूर्ति को 80 किलो कच्चे माल के संबंध में माना जाएगा, यानि इनवॉइस द्वारा कवर की गई सीमा तक। इसलिए आपूर्ति के समय से संबंधित प्रावधान 80 किलो कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भी लागू होंगे और पूरे 100 किलो कच्चे माल के लिए नहीं।

तथापि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि माल के मामले में (रचना आपूर्तिकर्ता को छोड़कर), इनवॉइस जारी करने पर/इनवॉइस जारी करने की अंतिम तिथि पर ही देय है भले ही चालान जारी करने/चालान जारी करने की अंतिम तिथि से पहले कोई अग्रिम या आंशिक भुगतान प्राप्त किया गया हो।

माल की पूर्ति हेतु बीजक के निर्गमन हेतु समय सीमा (Time limit for issuance of invoice for supply of goods)

- धारा 31(1) के अनुसार माल के निर्गमन के समय या उससे पूर्व बीजक का निर्गमन किया जायेगा (जहाँ पूर्ति में माल का संचलन निहित है) या प्राप्तकर्ता या माल की प्राप्ति/माल व डिलीवरी (अन्य मामला)।
- माल की निरंतर पूर्ति की स्थिति में बीजक का निर्गमन आवधिक विवरण/आवधिक भुगतान प्राप्ति की रसीदों से निर्गमन के समय या उससे पूर्व किया जाना चाहिए। [धारा 31(4)]
- यदि माल खरीदो या वापसी के आधार पर भेजा गया है बीजक का निर्गमन माल की पूर्ति के समय या उससे पूर्व होना चाहिये अथवा निकासी की तिथि से 6 माह के अन्दर जो भी पहले हो। [धारा 31(7)]

अधिसूचना संख्या 66/2017 CT दिनांक 15.11.2017 के धारा 12 के साथ पढ़ें और उसके अनुसार वर्णित बाह्य पूर्तियों के मामलों में माल की पूर्ति सम्बन्धी प्रावधान अग्र रूप में प्रदर्शित अगले पृष्ठ पर किया गया है :

© The Institute of Chartered Accountants of India

उदाहरण (Illustration) 1

एक मशीन की साइट पर पूर्ति की जानी है जिसके लिये विभिन्न विक्रेताओं से अवयवों की उपलब्धि की जायेगी जिनकी मशीन साइट पर असेम्बली की जायेगी। विभिन्न घटनाओं की तिथियाँ हैं :

17 सितम्बर	₹ 12 लाख के माल के क्रय के लिये ₹ 50,000 अग्रिम के साथ क्रय आदेश प्राप्त हुआ है, जिसका पूर्तिकर्ता की पुस्तकों में उचित लेखा कर लिया गया है।
20 अक्टूबर	साइट पर मशीन लगाकर परीक्षण कर लिया गया और क्रेता द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गयी
23 अक्टूबर	बीजक निर्गमित
4 नवम्बर	शेष भुगतान ₹ 11,50,000 प्राप्त हुआ

उपर्युक्त स्थितियों में पूर्तियों के समय का निर्धारण कीजिये।

धारा 12 के अनुसार बाह्य प्रभार के अंतर्गत माल की पूर्ति का समय

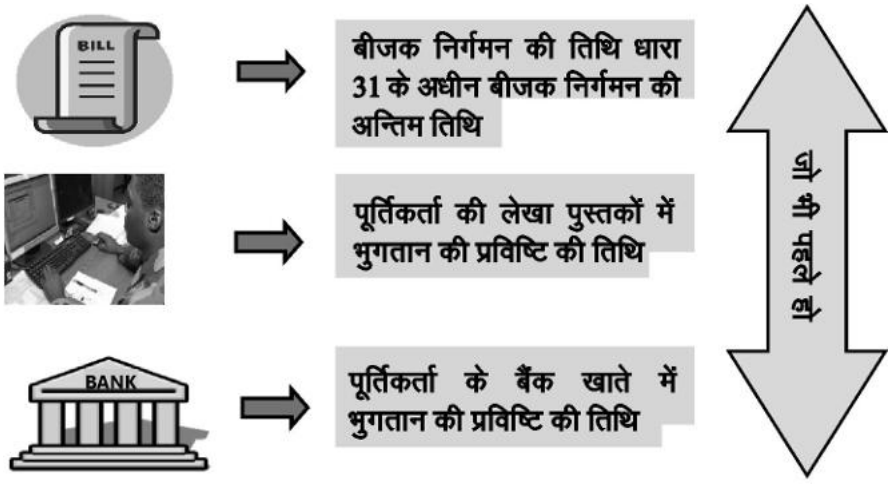

© The Institute of Chartered Accountants of India

माल की स्थिति में कर के भुगतान हेतु धारा 148 के अंतर्गत विशिष्ट प्रक्रिया

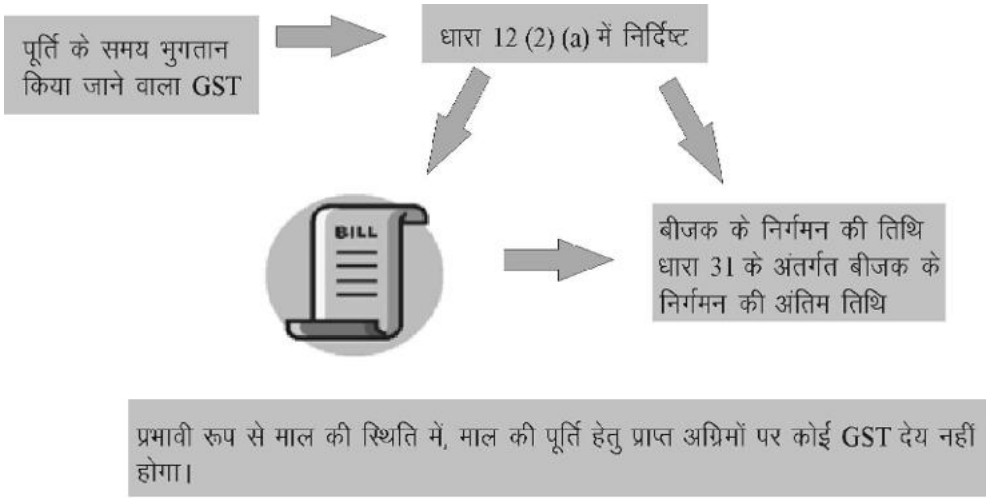

उत्तर (Answer)

अधिसूचना संख्या 66/2017 तिथि 15.11.2017 के अनुसार एक पंजीकृत व्यक्ति (संघटक पूर्तिकर्ता रहित) को धारा 12 (2) (a) में निर्दिष्टानुसार पूर्ति के समय माल की बाह्य पूर्ति पर GST भुगतान करना होगा अर्थात् बीज के निर्गमन की तिथि या धारा 31 के अनुसार अंतिम तिथि लेंस पर बीजक का निर्गमन किया जाना है।

₹ 50,000 मूल्य सम्बन्धी माल की पूर्ति का समय 17 सितम्बर है, क्योंकि भुगतान बीजक निर्गमन से पूर्व प्राप्त हो चुका है [धारा 12(2)(a)] शेष राशि ₹ 12,00,000 के माल की पूर्ति का समय 20 अक्टूबर है, जिस दिन प्राप्तकर्ता को माल उपलब्ध करा दिया गया [धारा 31(1)(b) के अनुसार] और इस दिन बीजक निर्गमित हो जाना चाहिये था [धारा 12(2)(a)]

उदाहरण (Illustration) 2

पाइप लाइन द्वारा गैस की पूर्ति की जानी है। अनुबन्ध के अनुसार प्राप्तकर्ता द्वारा मासिक भुगतान किया जाना है। प्रत्येक तिमाही पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक निर्गमित किया जायेगा जो माल के प्रेषण के विवरणों और भुगतान प्राप्ति पर आधारित हैं और प्राप्तकर्ता, किसी अन्तर (यदि है) का भुगतान करेगा। विभिन्न घटनाओं के विवरण निम्नांकित हैं :

5 अगस्त, 5 सितम्बर और 6 अक्टूबर	प्रति माह ₹ 2 लाख भुगतान किया गया
3 अक्टूबर	पूर्तिकर्ता द्वारा खाते के विवरण के निर्गमन के साथ जुलाई से सितम्बर तिमाही का बीजक निर्गमन किया गया
17 अक्टूबर	जुलाई से सितम्बर तिमाही के लेखा विवरण के लिये ₹ 56,000 की अन्तर राशि पूर्तिकर्ता को प्राप्त हुई

© The Institute of Chartered Accountants of India

कर के भुगतान के उद्देश्य हेतु पूर्ति के समय का निर्धारण कीजिये।

उत्तर (Answer)

अधिसूचना संख्या 66/2017 CT तिथि 15.11.2017 के अनुसार एक पंजीकृत व्यक्ति को (संघटक पूर्तिकर्ता रहित) धारा12 (2) (a) में निर्दिष्टानुसार पूर्ति के समय माल की बाह्य पूर्ति पर GST का भुगतान करना होगा अर्थात बीजक के निर्गमन की तिथि या धारा 31 के अनुसार वह अंतिम तिथि जिस पर बीजक का निर्गमन किया जाना था।

धारा 31(4) के अनुसार माल की निरंतर पूर्ति की स्थिति में, जहाँ खातों के आनुक्रमिक विवरण या आनुक्रमिक भुगतान शामिल होते हैं, लेखा विवरण के निर्गमन के समय या उससे पूर्व बीजक निर्गमित किया जाना चाहिये, या जैसी भी स्थिति हो जब प्रत्येक भुगतान प्राप्त हो। अतः बीजक 5 अगस्त, 5 सितम्बर तथा 6 अक्टूबर को निर्गमित करना चाहिए जब ₹ 2 लाख का मासिक भुगतान प्राप्त हो प्रत्येक ₹ 2 लाख की पूर्ति का समय 5 अगस्त, 5 सितम्बर और 6 अक्टूबर क्रमशः होगा, ₹ 56,000 मूल्य के माल की पूर्ति का समय 3 अक्टूबर होगा, क्योंकि यह बीजक की निर्गमन की तिथि से पूर्व है।

₹ 1,000 तक अधिक भुगतान, बीजक की तिथि को पूर्ति का समय लेने का विकल्प

धारा 12 के उप–धारा (2) के प्रावधान के अनुसार, चालान किए गए माल के मूल्य से अधिक ₹ 1,000 प्राप्त करने के लिए, आपूर्तिकर्ता इस अतिरिक्त मूल्य के लिए माल की आपूर्ति के समय के रूप में अतिरिक्त राशि के संबंध में जारी बीजक की तिथि ले सकते हैं।

यह प्रावधान आपूर्तिकर्ता को विशेष रूप से बिल राशि से अधिक उसके द्वारा प्राप्त की गई छोटी राशि पर कर का भुगतान स्थगित करने की सुविधा प्रदान करता है।

यदि न तो बीजक की तिथि और न ही भुगतान की तिथि उपलब्ध हो, तो धारा 12 की उप–धारा (5) के अधीन शेष प्रावधान लागू होंगे, [बिंदु (iv) वे अंतर्गत चर्चित]।

(ii) माल की प्राप्ति जो प्रतिलोमी प्रभार के अन्तर्गत करयोग्य है [धारा 12(3)] [Supply of goods that are taxable under reverse charge {Section 12(3)}]

ऐसे माल की पूर्ति का समय जिस पर प्रतिलोमी प्रभार के अधीन CGST Act की धारा 9 की उपधारा (3) और (4) के अधीन कर देय है, उसका निर्धारण धारा 12(3)(a), (b) और (c) के अनुसार, निम्न प्रकार होता है :

ऐसे माल की पूर्ति का समय निम्नांकित में से पूर्ववर्ती होगा :

- माल प्राप्त होने की तिथि, अथवा
- वह तिथि जिस तिथि को प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में अथवा उसके बैंक खाते में प्रविष्टि हुई है, जो भी पहले हो, अथवा
- पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक निर्गमन की तिथि से तुरन्त पश्चात 30 दिन की तिथि। (या बीजक के स्थान पर किसी अन्य नाम से दस्तावेज)

© The Institute of Chartered Accountants of India

यदि पूर्ति के समय को निर्धारण उपर्युक्त मानदण्डों द्वारा सम्भव नहीं है, तब माल की पूर्ति का समय, प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि होगा।

रिवर्स चार्ज के मामले में माल की आपूर्ति के समय से संबंधित प्रावधानों को अगले पृष्ठ पर दिए गए आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है।

उदाहरण (Illustration) 3

निम्नांकित सूचना से पूर्ति के समय का निर्धारण कीजिये :

4 मई	प्रतिलोमी प्रभार के अधीन कर योग्य माल का बीजक ब्रिज एण्ड कम्पनी को निर्गमित करता है (बीजक निर्गमन के पश्चात 30 दिन 3 जून को समाप्त होते हैं)
12 मई	ब्रिज एण्ड कम्पनी द्वारा माल प्राप्त हुआ
30 मई	ब्रिज एण्ड कम्पनी भुगतान करती है

उत्तर (Answer)

यहाँ 12 मई, पूर्ति का समय होगा, जोकि तीनों निर्दिष्ट तिथियों में पूर्ववर्ती है, नामत, माल की प्राप्ति, भुगतान की तिथि और बीजक निर्गमन के 30 दिन पश्चात् की तिथि [धारा 12(3)] (यहाँ, बीजक निर्गमन की तिथि का महत्व केवल 30 दिन की गणना के लिये है)

उदाहरण (Illustration) 4

निम्नांकित सूचनाओं से पूर्ति के समय का निर्धारण कीजिए :

4 मई	पिल्लर एण्ड कम्पनी को पूर्तिकर्ता, प्रतिलोमी प्रभार वाले माल का बीजक निर्गमित करता है (30 दिन पश्चात की तिथि 3 जून है)
12 जून	पिल्लर एण्ड कम्पनी माल प्राप्त करती है जिसको रास्ते में रोक लिया गया था
3 जुलाई	माल के लिये भुगतान तिथि

उत्तर (Answer)

यहाँ, 4 जून पूर्ति का समय है जो पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक निर्गमन की तिथि से 31वां दिन है जो कि तीनों निर्दिष्ट तिथियों से सबसे पहले आती है, नामित माल की प्राप्ति, भुगतान और बीजक निर्गमन से 30 दिन पश्चात की तिथि [धारा 12(3)]

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रतिलोमी प्रभार के अधीन माल की पूर्ति का समय

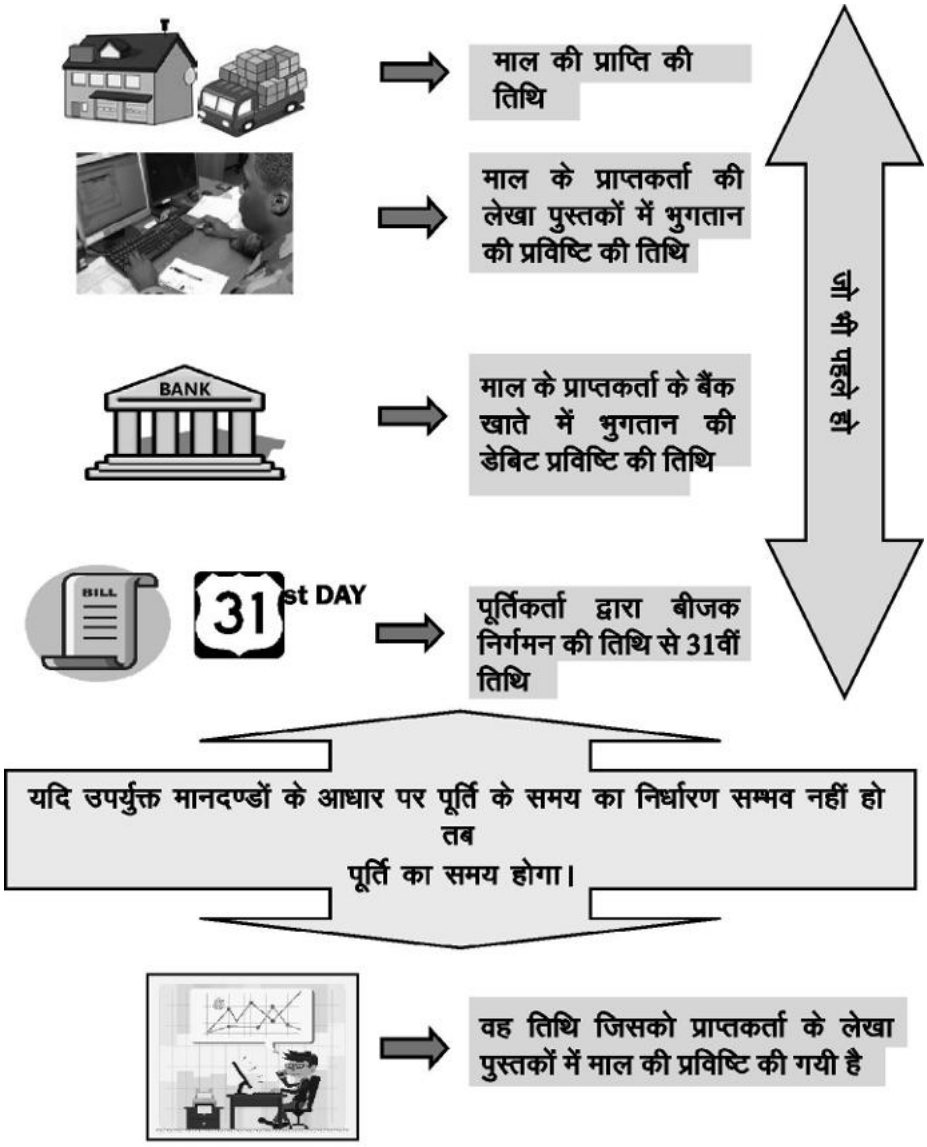

(iii) वाउचर्स [धारा 12(4)] [Vouchers {Section 12(4)}]

जैसा कि प्राय समझा जाता है, वाउचर्स निश्चित मूल्य के ऐसे प्रपत्र हैं जिनको माल/सेवाओं की पूर्ति के बदले विनिमय किया जा सकता है। परिभाषा के अनुसार ये ऐसे प्रपत्र हैं, जिन्हें कोई विशिष्ट व्यक्ति (प्रत्याशित पूर्तिकर्ता) माल एवं/या सेवाओं हेतु पूर्णतया आंशिक, प्रतिफल के रूप में स्वीकार करता है, वाउचर्स या उनसे सम्बन्धित प्रपत्रों में उनके प्रयोग शामिल माल/सेवाओं और सम्भावित पूर्तिकर्ताओं की पहचान दी गयी होती है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा 12(4) के अनुसार माल के लिये विनिमय साध्य वाउचर्स की पूर्ति का समय होता है :

- वाउचर निर्गमन की तिथि, यदि पूर्ति उस समय पहचानने योग्य है, या
- अन्य मामलों में वाउचर्स के शोधन की तिथि।

एक्मेसेल्स लि., एक कम्पनी को फूड कूपन्स का विक्रय करती है, कम्पनी इन्हें अपने कर्मचारियों को सहमत अनुलाभ के रूप में देती है। इन कूपन्स का उपयोग/शोधन किसी भी मद के क्रय (खाद्य/प्रोवीजन्स) के लिये, उन आउटलेट्स में किया जा सकता है जो कि कार्यक्रम के भाग हैं।

चूँकि, ऐसी पूर्तियाँ जिनके विरुद्ध ऐसे कूपन शोधनीय हैं, कूपन विक्रय के दिन उनकी पहचान नहीं है, ऐसे कूपनों की पूर्ति का समय उनके शोधन की तिथि होगी, जब उनके बदले अपनी पसंद की मदें क्रय की जायेंगी।

क्रिसमस सप्ताह के दौरान प्रत्येक बड़े पिज्जा के क्रय पर ₹ 20 का वाउचर प्राप्त होगा, जिसको 5 जनवरी तक छोटे पिज्जा के क्रय में शोधन किया जा सकता है।

चूँकि, पूर्ति जिसके के लिए वाउचर्स का शोधन किया जाना है, विक्रय की तिथि पर ज्ञात होती है। पूर्ति का समय, वाउचर निर्गमन की तिथि होगी।

(iv) शेष स्थितियाँ [धारा 12(5)] [Residual case {Section 12(15)}]

उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों में यदि कोई स्थिति, निर्धारणीय नहीं है, ऐसी पूर्ति के समय का निर्धारण धारा 12(5) के प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित रीति से किया जायेगा :

- आवधिक विवरणियों की प्रस्तुति की देय तिथि, अथवा
- अन्य मामलों में, GST भुगतान की तिथि

वाउचरों की आपूर्ति के समय से संबंधित प्रावधान अवशिष्ट मामलों में माल के लिए विनिमय है जो चित्र के माध्यम से अगले पृष्ठ पर दिए गए हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

माल हेतु विनिमय योग्य वाउचर्स की पूर्ति का समय

शेष स्थितियों के अधीन माल की पूर्ति का समय

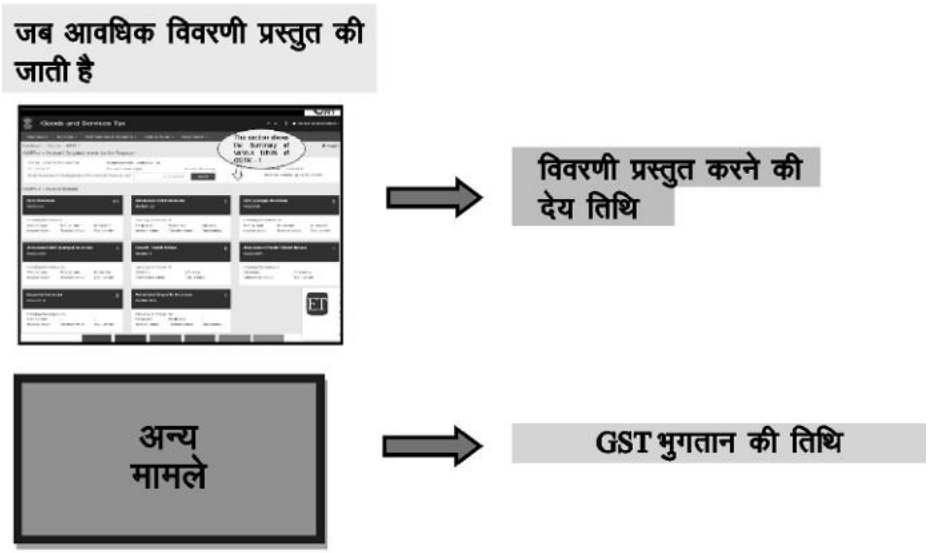

(v) प्रतिफल के विलम्ब भुगतान हेतु ब्याज/विलम्ब शुल्क इत्यादि के कारण कीमत में वृद्धि [धारा 12(6)] [Enhancement in value on account of interest/late fee etc. for delayed payment of consideration {Section 12(6)}]

व्यावहारिक रूप से, पूर्ति के सभी समझौतों में प्रतिफल के सहमत अवधि पश्चात भुगतान की स्थिति में ब्याज, विलम्ब शुल्क, अर्थदण्ड आदि का उल्लेख होता है। ऐसी ब्याज आदि की राशि कर योग्य पूर्ति के मूल्य में वृद्धि करती है। (यह अवधारणा विस्तार के साथ

© The Institute of Chartered Accountants of India

इकाई II में आगे पूर्ति के मूल्य में विवेचित की गयी।) अतः प्रश्न उठता है कि ऐसे मूल्यवृद्धि के मामलों में GST के भुगतान का दायित्व कब उदय होता है।

धारा 12(6) के अधीन माल हेतु प्रतिफल के विलम्ब भुगतान हेतु ब्याज/विलम्ब शुल्क/अर्थदण्ड के माध्यम से कीमत में वृद्धि की स्थिति में पूर्ति का समय वह तिथि होती है, जब पूर्तिकर्ता को ऐसी मूल्य वृद्धि प्राप्त होती है।

राधा ट्रेडर्स ने श्याम सेल्स को 6 जून को इस शर्त सहित माल का विक्रय किया कि यदि श्याम सेल्स माल की सुपुर्दगी से 15 दिनों के अन्दर भुगतान करने में असमर्थ होता है तो @ 2% प्रति मास ब्याज वसूला जाएगा। माल की सुपुर्दगी कर दी गई साथ ही 6 जून को बीजक का निर्गमन भी कर दिया गया। श्याम सेल्स ने 6 जुलाई को लागू ब्याज सहित माल हेतु प्रतिफल का भुगतान कर दिया।

विक्रय किए गए माल हेतु पूर्ति का समय बीजक के निर्गमन की तिथि अर्थात् 6 जून है तथा ब्याज द्वारा मूल्यवृद्धि हेतु पूर्ति का समय वह तिथि है जब यह मूल्यवृद्धि राधा ट्रेडर्स द्वारा प्राप्त की जाती है अर्थात 6 जुलाई।

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा 12 में वर्णित माल की पूर्ति के समय से संबंधित प्रावधान निम्नांकित चित्र की सहायता से दर्शाये गये हैं :

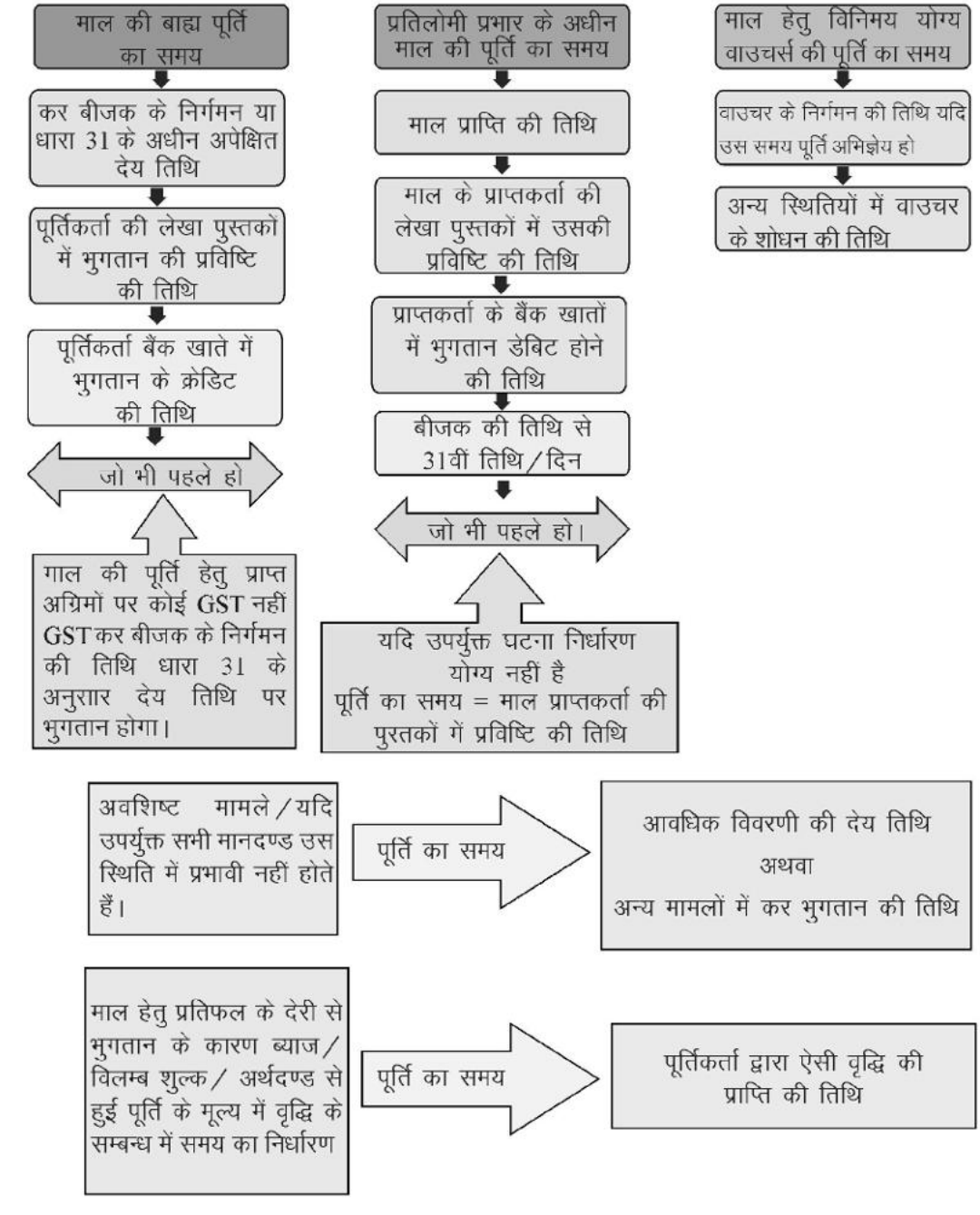

© The Institute of Chartered Accountants of India

4. सेवाओं की पूर्ति का समय (धारा 13) [Time of Supply of Services (Section 13)]

वैधानिक प्रावधान		
धारा 13	सेवाओं की पूर्ति का समय	
उपधारा	वाक्य	विवरण
(1)	सेवाओं पर कर भुगतान का दायित्व पूर्ति के समय उदय होता है, जिसका निर्धारण इस धारा के प्रावधानों के अनुसार होता है।	
(2)	सेवाओं की पूर्ति का समय निम्नांकित में से पूर्ववर्ती तिथि होगी, नामत : (a) यदि धारा 31(2) के अधीन बीजक का निर्गमन निर्धारित समय के अन्दर पूर्तिकर्ता द्वारा किया गया है अथवा भुगतान प्राप्ति की तिथि, जो भी पहले हो (b) यदि धारा 31(2) में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के अन्दर कर बीजक का निर्गमन पूर्तिकर्ता द्वारा नहीं किया गया है, सेवा के प्रावाधान की तिथि अथवा भुगतान प्राप्ति की तिथि जो भी पहले हो। (c) सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में सेवा की प्राप्ति को प्रविष्टि की तिथि, यदि उपर्युक्त वाक्य (a) या (b) लागू नहीं होते हैं। उल्लिखित है, कि यदि करयोग्य सेवा का पूर्तिकर्ता, कर बीजक में उल्लिखित राशि से ₹ 1,000 तक की अधिक राशि प्राप्त करता है, ऐसे आधिक्य की पूर्ति का समय, पूर्तिकर्ता के विकल्प पर, ऐसे आधिक्य सम्बन्धी बीजक के निर्गमन की तिथि होगी। **स्पष्टीकरण** : वाक्य (a) और (b) के उद्देश्यों के लिये : (i) उस सीमा तक पूर्ति की हुई मानी जायेगी, जिस सीमा तक इसका उल्लेख बीजक में है, या भुगतान से सम्बन्धित है, जैसी भी स्थिति हो (ii) ''भुगतान प्राप्ति की तिथि'' ऐसी तिथि होगी जिस दिन पूर्तिकर्ता द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में इसकी प्रविष्टि की गयी है अथवा उस बैंक खाते में जिस तिथि को भुगतान क्रेडिट हुआ है (जो भी पहले हो)	
(3)	ऐसी पूर्तियों के सम्बन्ध में जिन पर प्रतिलोमी प्रभार के अधीन कर का भुगतान किया गया है या कर देय है, पूर्ति का समय निम्नांकित में से पूर्ववर्ती तिथि होगी, नामत : (a) प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में भुगतान प्राप्ति की प्रविष्टि की तिथि अथवा उसके बैंक खाते में भुगतान सम्बन्धी डेबिट प्रविष्टि की तिथि, (जो भी पहले हो)	

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(b) पूर्तिकर्ता द्वारा पर बीजक या अन्य किसी प्रपत्र (चाहे किसी नाम से जाना जाय) के निर्गमन की तिथि से तुरन्त 60 दिन पश्चात की तिथि उल्लिखित है कि जहाँ वाक्य (a) या (b) के अन्तर्गत पूर्ति का समय निर्धारित करना सम्भव न हो, तो पूर्ति का समय प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि होगा। साथ ही उल्लिखित है कि यदि पूर्ति सहयोगी उपक्रम द्वारा की गयी है, और सेवा प्रदत्त भारत के बाहर स्थित है, तो प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में उसकी प्रविष्टि की तिथि अथवा भुगतान की तिथि जो भी पहले हो पूर्ति का समय होगा।
(4)	पूर्तिकर्ता द्वारा वाउचर्स की पूर्ति के मामले में, पूर्ति का समय होगा : (a) वाउचर्स निर्गमन की तिथि, यदि उस समय पूर्ति पहचान योग्य है (b) अन्य मामलों में, वाउचर्स के शोधन की तिथि
(5)	यदि उपर्युक्त उपधारा (2), (3), (4) के अधीन सेवाओं की पूर्ति का समय निर्धारण करना सम्भव नहीं है, पूर्ति का समय होगा : (a) ऐसे मामलों में जहाँ आवधिक विवरणी प्रस्तुत की जाती है, पूर्ति का समय विवरणी प्रस्तुति की देय तिथि होगा; अथवा (b) अन्य मामलों में, कर भुगतान की तिथि
(6)	पूर्ति का समय जहाँ तक इसका सम्बन्ध, प्रतिफल के भुगतान में देरी के कारण ब्याज, विलम्ब शुल्क या अर्थदण्ड के कारण पूर्ति के मूल्य में वृद्धि होती है, ऐसी तिथि होगी जब पूर्तिकर्ता ऐसे मूल्य आधिक्य को प्राप्त करता है।
धारा 31	**कर बीजक (पूर्ति के समय की यथोचितता तक)**
(2)	ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जो कर योग्य सेवाओं की पूर्ति करता है सेवाओं के प्रदान से पूर्व या पश्चात, परन्तु निर्धारित समय के अन्दर कर बीजक निर्गमित करेगा जिसमें विवरण, मूल्य वसूल कर और अन्य निर्धारित विवरण प्रदर्शित किये गये हों। सरकार परिषद की अनुशंसा पर, अधिसूचना द्वारा उन शर्तों के अधीन जो उसमें वर्णित हों, सेवाओं की ऐसी श्रेणी निर्दिष्ट कर सकती है, जिनके सम्बन्ध में : (a) सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में निर्गमित अन्य कोई प्रपत्र कर बीजक माना जायेगा, अथवा (b) कर बीजक जारी नहीं किया जाएगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(5)	निरंतर पूर्ति की स्थिति में, उपधारा (3) के वाक्य (d) के प्रावधानों के अधीन : (a) जहाँ भुगतान की देय तिथि अनुबन्ध से निर्धारणीय है, बीजक का निर्गमन भुगतान की देय तिथि पर या उससे पूर्व किया जायेगा। (b) यदि भुगतान की देय तिथि अनुबन्ध से निर्धारणीय नहीं है, बीजक का निर्गमन, पूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान प्राप्त करते समय या उससे पूर्व किया जायेगा। (c) यदि भुगतान कार्य की पूर्णता से जुड़ा हुआ है, तब बीजक का निर्गमन ऐसे कार्य के पूर्ण होने या उससे पूर्व किया जायेगा।
(6)	ऐसे मामलों में जहाँ अनुबन्ध के अधीन सेवाओं की पूर्ति समाप्त हो जाती है, जबकि पूर्ति पूर्ण नहीं हुई है, बीजक का निर्गमन उस समय किया जायेगा जब पूर्ति समाप्त होनी है और ऐसा बीजक उस सीमा तक निर्गमित किया जायेगा जितनी कि पूर्ति, समाप्त होने से पूर्व हो चुकी है।
अध्याय VI : CGST नियमों के कर बीजक, क्रेडिट एवं डेबिट नोट	
	कर बीजक निर्गमित करने हेतु समय सीमा
	नियम 46 में संदर्भित करयोग्य सेवा की पूर्ति के मामले में, कर बीजक का निर्गमन, सेवाओं की पूर्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर किया जायेगा।
नियम 47	उल्लिखित है कि जहाँ सेवाओं का पूर्तिकर्ता बीमाकर्ता या बैंकिंग कम्पनी अथवा वित्तीय संस्थान है, गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान को शामिल करते हुए, ऐसी समयावधि जिसमें कर बीजक या उसके स्थान पर अन्य कोई प्रपत्र का निर्गमन सेवाओं की पूर्ति के 45 दिन के अन्दर किया जायेगा।
	आगे उल्लिखित है, कि कोई बीमाकर्ता या एक बैंकिंग कम्पनी या वित्तीय संस्थान, गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान सहित, अथवा कोई टेलीकॉम ऑपरेटर, अथवा परिषद की अनुशंसा पर सरकार द्वारा अधिसूचित सेवाओं की पूर्तिकर्ता की अन्य कोई श्रेणी, जो धारा 25 में निर्दिष्ट भिन्न व्यक्तियों के मध्य कर योग्य पूर्ति करती है, ऐसे पूर्तिकर्ता द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में पूर्ति की प्रविष्टि करते समय या उससे पूर्व उस तिमाही के समाप्त होने से पूर्व जिसमें पूर्ति की गयी थी, कर बीजक का निर्गमन कर सकता है।

धारा 13 CGST नियमों की धारा 31 एवं नियम 47 के साथ पढ़ी जानी चाहिए, जो विस्तारपूर्वक उस तिथि को निर्दिष्ट करती है, जिस पर सेवा की पूर्ति हेतु कर बीजक निर्गमित करना चाहिए।

© The Institute of Chartered Accountants of India

विश्लेषण (Analysis)

धारा 13 में निम्नांकित स्थितियों में पूर्ति के समय के निर्धारण की रीति वर्णित है :

➔ ऐसी सेवाओं की पूर्ति जिन पर पूर्तिकर्ता कर भुगतान के लिये दायी है,

➔ ऐसी सेवाओं की पूर्ति जो प्रतिलोमी प्रभार के अधीन कर योग्य हैं।

➔ वाउचर्स की पूर्ति जिनका प्रयोग सेवाओं के भुगतान में किया जा सकता है

➔ अवशिष्ट मामले

➔ देरी से भुगतान के लिये ब्याज या शुल्क या अर्थदण्ड से पूर्ति के मूल्य में वृद्धि।

नीचे इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे :

(i) सेवा की पूर्ति जब पूर्तिकर्ता कर भुगतान के योग्य है (बाह्य प्रभार) [धारा 13 (2) को धारा 31 और नियम 47 CGST नियमों के साथ पढ़ें]

सेवाओं की पूर्ति, जब पूर्तिकर्ता कर भुगतान के लिये दायी है, पूर्ति का समय, निम्नांकित (A) और (B) प्रणाली से निर्धारित तिथियों में, पूर्ववर्ती तिथि होगी :

(A) बीजक की तिथि या भुगतान प्राप्ति की तिथि (जहाँ तक सेवाओं का भुगतान सम्बन्धित है) जो भी पूर्ववर्ती है, यदि बीजक का निर्गमन धारा 31 के अनुसार निर्धारित समय में किया गया है;

(B) सेवा प्रदान करने की तिथि अथवा भुगतान प्राप्ति की तिथि (जहाँ तक भुगतान सेवा सम्बन्धी है) जो भी पहले हो, यदि बीजक का निर्गमन धारा 31के अनुसार समय पर नहीं किया गया है।

यदि ये दोनों प्रणालियाँ [A और B] लागू नहीं होती हैं, सेवा की पूर्ति का समय वह तिथि होगी जब सेवाओं का प्राप्तकर्ता अपनी लेखा पुस्तकों में सेवा प्राप्ति की प्रविष्टि करता है।

''भुगतान प्राप्ति की तिथि'' का अर्थ

उपर्युक्त स्थिति में संदर्भित भुगतान प्राप्ति की तिथि का आशय उस तिथि से है जिसको पूर्तिकर्ता ने अपनी लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की है अथवा पूर्तिकर्ता के बैंक खाते में भुगतान राशि की क्रेडिट प्रविष्टि की तिथि, जो भी पहले हो।

'सेवाओं से सम्बन्धित भुगतान' की महत्वपूर्णता

मानो, कि प्रतिफल का एक भाग अग्रिम प्राप्त हो चुका है अथवा बीजक का निर्गमन आंशिक भुगतान के लिये किया गया है, 'पूर्ति का समय' सम्पूर्ण पूर्ति से सम्बन्धित नहीं होगा। पूर्ति उतनी ही मानी जायेगी जितनी कि बीजक में उल्लिखित है या भुगतान प्राप्त हुआ है। बाह्य प्रभार की स्थिति में सेवाओं की पूर्ति के समय से सम्बन्धित प्रावधान आगामी पृष्ठ पर चित्र के माध्यम से दर्शाये गए हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

बाह्य प्रभार के अन्तर्गत सेवाओं की पूर्ति का समय

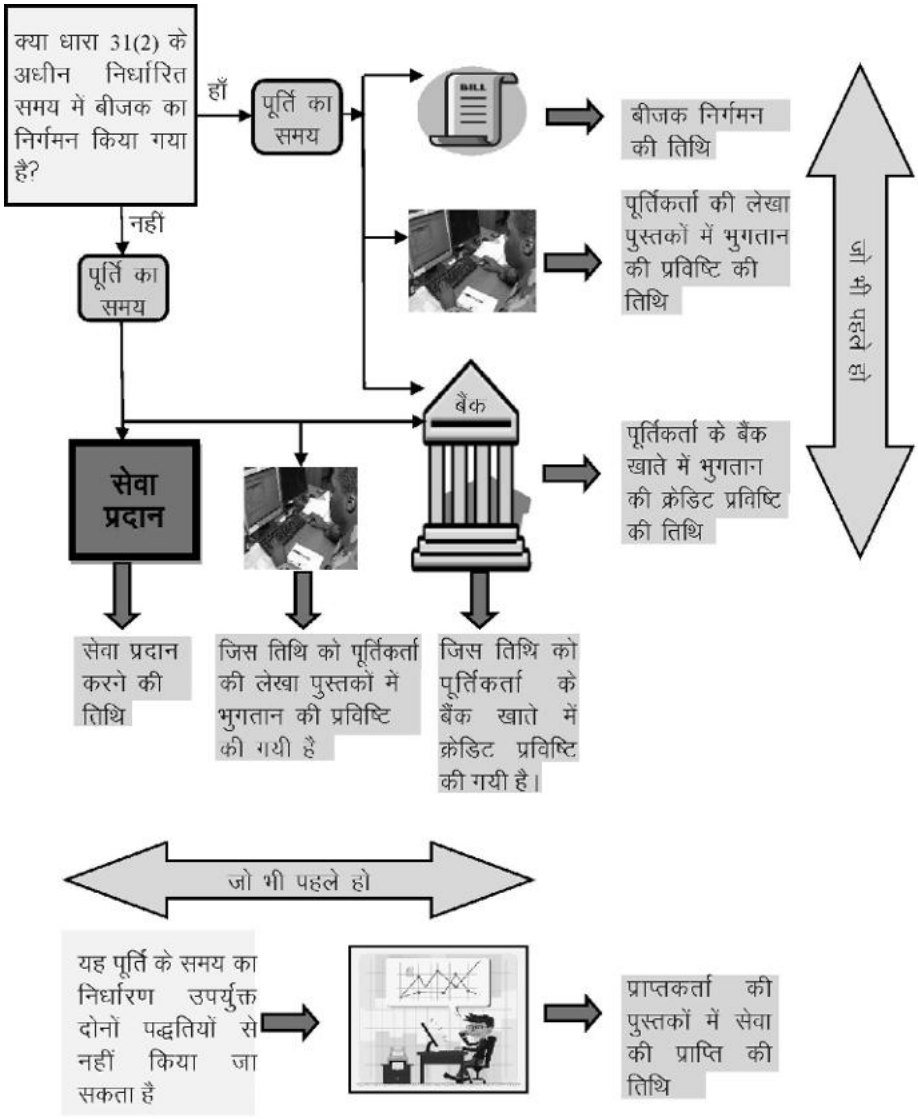

सेवाओं की पूर्ति हेतु बीजक के निर्गमन की समय सीमा

- धारा 31(2) के अनुसार, CGST नियम 47 को साथ पढ़ते हुए, कर बीजक का निर्गमन सेवा प्रदान करने से पूर्व अथवा सेवा प्रदान करने के बाद 30 दिन (बैंकिंग कम्पनी, वित्तीय संस्थान—NBFC सहित बीमाकर्ता के मामलों में 45 दिन) के अन्दर कर देना आवश्यक है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

- किसी बीमाकर्ता/बैंकिंग कम्पनी/वित्तीय संस्थान NBFC सहित/टेलीकॉम कम्पनी/अधिसूचित सेवा/पूर्तिकर्ता जो कि धारा 25[4] निर्दिष्ट भिन्न व्यक्तियों के मध्य कर योग्य सेवाओं की पूर्ति करते हैं, कर बीजक का निर्गमन ऐसी पूर्तियों को लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि के समय अथवा उस तिमाही की समाप्ति से पूर्व कर सकते हैं जिसमें पूर्ति की गयी थी। [नियम 47 का दूसरा प्रावधान]
- सेवाओं की निरंतर पूर्ति के मामले में बीजक का निर्गमन (i) भुगतान की देय तिथि पर या पूर्व अथवा (ii) उस समय या पूर्व, जब पूर्तिकर्ता भुगतान प्राप्त करता है, यदि भुगतान की देय तिथि ज्ञात न हो अथवा (iii) जहाँ भुगतान किसी घटना पर आधारित हो, ऐसी घटना के होने पर या उससे पूर्व, बीजक निर्गमित कर देना चाहिये। [धारा 31(5)]
- सेवाओं की पूर्ति की पूर्णता से पूर्व पूर्ति बंद होने के मामले में बीजक (ऐसी पूर्ति समाप्त होने से पूर्व की सेवा की सीमा तक) निर्गमित कर देना चाहिये जब पूर्ति बंद होती है। [धारा 31(6)]

उदाहरण (Illustration) 5

निम्नांकित सूचनाओं से पूर्ति के समय का निर्धारण कीजिये :

6 मई	कन्वेशन हॉल की बुकिंग, सहमत राशि ₹ 15,000 अग्रिम ₹ 3,000 प्राप्त
15 सितम्बर	कन्वेशन हाल में कार्यक्रम हुआ
27 अक्टूबर	₹ 15,000 का बीजक निर्गमित करते हुए शेष राशि ₹ 12,000 देय प्रदर्शित
3 नवम्बर	शेष राशि ₹ 12,000 प्राप्त

उत्तर (Answer)

CGST Act की धारा 31(2) के साथ नियम 47 को पढ़ते हुए, कर बीजक का निर्गमन सेवा की पूर्ति के 30 दिन के अन्दर कर देना चाहिये। प्रस्तुत मामले में, निर्धारित समय के अन्दर बीजक का निर्गमन नहीं किया गया है। धारा 13(2)(b) के अनुसार यदि बीजक का निर्गमन निर्धारित समय के अन्दर नहीं किया जाता है, सेवा प्रदान करने, अथवा भुगतान प्राप्त करने की तिथि, जो भी पहले हो, सेवा की पूर्ति का समय होता है।

अतः ₹ 3,000 की सीमा तक सेवा पूर्ति का समय 6 मई है, जो ₹ 3,000 भुगतान प्राप्ति की तिथि है जो सेवा प्रदान करने से पहले है। ₹ 12,000 की शेष राशि की सीमा तक, सेवा पूर्ति की तिथि 15 सितम्बर है, जो सेवा प्रदान करने की तिथि है।

[4] निम्न व्यक्तियों की अवधारणा अध्याय 7 : पंजीकरण मे चर्चित की गई है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उदाहरण (Illustration) 6

अनुसंधान से प्रकट होता है कि ABC & Co. आवासीय परिसर में टैंकों की मरम्मत और सफाई का कार्य करती है, जिसके लिये दिनांक 4 अप्रैल को AWA की लेखा पुस्तकों में ऐसे कार्य के लिये नकद भुगतान प्रदर्शित है। ABC & Co. के रिकॉर्ड्स से कार्य करने की तिथि स्पष्ट नहीं है। ABC & Co. ने बीजक निर्गमन नहीं किया है और न ही अपनी पुस्तकों में भुगतान की कोई प्रविष्टि की है।

उत्तर (Answer)

धारा 13(2) के वाक्य (a) और (b) के अधीन पूर्ति के समय का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बीजक का निर्गमन भी नहीं किया गया और सेवा प्रदान की तिथि भी स्पष्ट नहीं है और प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में भुगतान प्राप्ति की तिथि भी उपलब्ध नहीं है। अतः सेवा की पूर्ति के समय का निर्धारण धारा 13(2) के वाक्य (c) के अनुसार किया जायेगा अर्थात् जिस तिथि को सेवा का प्राप्तकर्ता अपनी पुस्तकों से सेवा की प्राप्ति करता है।

अतः पूर्ति का समय 4 अप्रैल होगा, ऐसी तिथि जिसको AWA अपनी पुस्तकों में सेवा की प्राप्ति रिकॉर्ड करता है।

₹ 1,000 तक अतिरिक्त भुगतान : आपूर्ति के समय के रूप में बिल की तिथि लेने का विकल्प—

बिल मूल्य से अधिक प्राप्त ₹ 10,000 तक के भुगतान के लिए, धारा 13 के उपखंड (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आपूर्तिकर्ता इस अतिरिक्त मूल्य के संबंध में सेवाओं की आपूर्ति के समय के रूप में इस अतिरिक्त राशि के संबंध में जारी बीजक की तिथि को ले सकते हैं।

यह प्रावधान आपूर्तिकर्ता को आमतौर पर उसके द्वारा बीजक राशि से अधिक प्राप्त की गई छोटी राशि पर कर का भुगतान स्थगित करने की सुविधा प्रदान करता है।

एक टेलीफोन कम्पनी को ₹ 4,800 के बीजक के विरुद्ध ₹ 5,000 प्राप्त हुए। आधिक्य की राशि ₹ 200 का समायोजन अगले बीजक में किया जा सकता है। कम्पनी अगले बीजक की तिथि को, ऐसी ₹ 200 की सेवापूर्ति के सम्बन्ध में पूर्ति का समय मानने का विकल्प अपना सकती है।

(ii) सेवाओं की प्राप्ति जो प्रतिलोम प्रभार के अन्तर्गत करयोग्य है [धारा 13(3)]

ऐसी सेवाओं की पूर्ति का समय, जिन पर प्रतिलोमी प्रभार के अधीन धारा 9 की उपधारा (3) और (4) के अनुसार कर देय है, (भारत के बाहर स्थित सहयोगी उपक्रम से प्राप्त सेवाओं को छोड़कर) कर निर्धारण धारा 13(3) की उपधारा (3) और (4) के अनुसार किया जाता है।

सेवा की पूर्ति का समय निम्नांकित में से पूर्ववर्ती होता है :

- भुगतान की तिथि, अथवा

© The Institute of Chartered Accountants of India

- पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक निर्गमन की तिथि से तुरन्त 60 दिन पश्चात की तिथि (या बीजक के स्थान पर कोई अन्य प्रलेख)

यदि उपर्युक्त मानदण्डों से सेवा की पूर्ति के समय का निर्धारण नहीं हो पाता है, तब सेवा प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में सेवा प्राप्ति की तिथि ही पूर्ति का समय होगी।

'भुगतान की तिथि' का अर्थ

''भुगतान की तिथि'' उपर्युक्त स्थिति में इसका आशय प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में भुगतान के रिकॉर्ड करने की तिथि अथवा उसके बैंक खाते में भुगतान की डेबिट प्रविष्टि की तिथि, जो भी पहले हो, ''भुगतान की तिथि'' होगी।

सहयोगी उद्यमों के मध्य सेवाओं की आय

भारत के बाहर स्थित सहयोगी उपक्रम से सेवाओं के आयात की स्थिति में, सेवाओं के भुगतान की तिथि अथवा प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में सेवा की प्राप्ति के रिकॉर्ड करने की तिथि, जो भी पहले हो, पूर्ति का समय होगा।

प्रतिलोमी प्रभार के अधीन कर योग्य सेवाओं की पूर्ति के समय सम्बन्धी प्रावधानों को आगे चित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है :

प्रतिलोमी प्रभार के अधीन सेवाओं की पूर्ति का समय

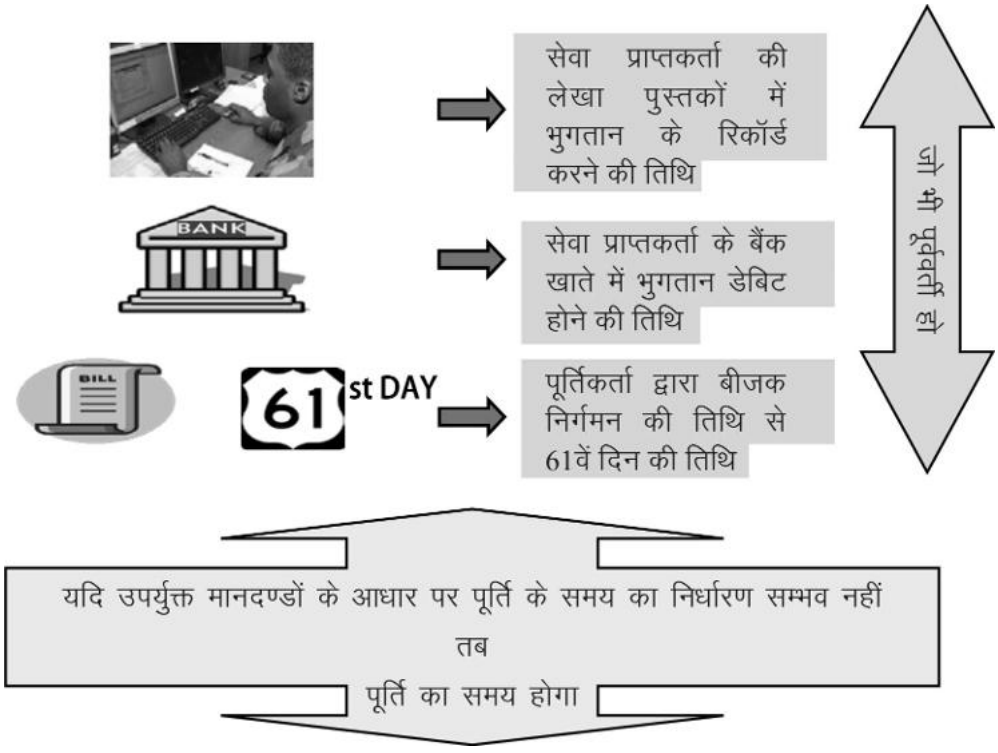

© The Institute of Chartered Accountants of India

उदाहरण (Illustration) 7

निम्नांकित सूचनाओं से पूर्ति के समय का निर्धारण कीजिए (यह मानते हुए कि पूरित सेवाएं प्रतिलोमी प्रभार के अधीन कर योग्य हैं)

4 मई	सेवा प्रदानकर्ता प्रदत्त सेवाओं का बीजक निर्गमित करता है। देय राशि के सम्बन्ध में विवाद होने के कारण, भुगतान में देरी हुई है।
21 अगस्त	सेवा पूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया है।

उत्तर (Answer)

यहाँ, 4 जुलाई 'पूर्ति का समय' होगा क्योंकि दो उल्लिखित तिथियों में यह पूर्ववर्ती है, अर्थात (i) भुगतान की तिथि और (ii) बीजक निर्गमन की तिथि से 60 दिन पश्चात की तिथि।

उदाहरण (Illustration) 8

निम्नांकित सूचनाओं से पूर्ति के समय का निर्धारण कीजिये :

4 मई	जर्मन स्थित एक कम्पनी द्वारा भारत स्थित अपने सहयोगी उपक्रम ABC Ltd. को प्रदत्त तकनीकी सेवाओं की सूचना ई–मेल द्वारा प्रदान की।
2 जुलाई	ABC Ltd. द्वारा जर्मन कम्पनी के खाते में राशि अंतरित की गयी।

उत्तर (Answer)

चूँकि, ABC Ltd. की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं है, 2 जुलाई की तिथि पूर्ति का समय होगा, जो कि धारा 13(3) के द्वितीय उपबन्ध में अपेक्षित है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iii) वाउचर्स [**धारा** 13(4)]

''माल की पूर्ति का समय'' के शीर्षक के अधीन शब्द वाउचर्स को पहले ही समझाया जा चुका है। ऐसे वाउचर्स की पूर्ति का समय जो कि सेवाओं के बदले विनिमय साध्य है, उनके निर्गमन की तिथि होता है, यदि पूर्ति पहचाने जाने योग्य होती है, अन्य मामलों में वाउचर्स के शोधन की तिथि पूर्ति का समय होगी।

बेस्ट हॉस्पीटेलिटी सर्विसेज एक समझौता ड्राइव मार्केटिंग लि. के साथ करती है जिसके अधीन ड्राइव मार्केटिंग लि. द्वारा बेस्ट हॉस्पीटेलिटी सर्विसेज की होटल रूम सेवाओं के विपणन के अन्तर्गत कूपन/वाउचर्स को ग्राहकों को विक्रय करती है, जो कि होटल में ठहरने के लिये कटौती के रूप में शोधनीय है। चूँकि वाउचर्स के विरुद्ध शोधनीय पूर्ति पहचान योग्य है, वाउचर्स की पूर्ति का समय उनकी निर्गमन की तिथि होगी।

(iv) शेष स्थितियाँ [**धारा 13(5)**]

यदि उपर्युक्त विवेचित किसी प्रावधान के अधीन कोई स्थिति लागू नहीं होती है, पूर्ति के समय का निर्धारण धारा 13(5) के प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित रीति से किया जायेगा :

- आपेक्षिक आवधिक विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि; अथवा
- अन्य मामलों में GST भुगतान की तिथि

(v) ब्याज/विलम्ब शुल्क इत्यादि के मूल्य में वृद्धि जो विचार में विलम्ब से भुगतान के लिए हो [धारा 13(6)]—

ब्याज के रूप में मूल्य में वृद्धि के मामले में आपूर्ति के समय के लिए प्रावधान, विचाराधीन विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क/दंड सामान और सेवाओं के लिए समान है।

धारा 13(6) में निर्धारित किया गया है कि एक सेवा के लिए प्रतिफल के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज/देर से शुल्क/दंड के रूप में मूल्य में वृद्धि के मामले में आपूर्ति का समय वह तिथि है जिस पर आपूर्तिकर्ता मूल्य में इस तरह की वृद्धि प्राप्त करता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा 13 में निहित सेवाओं की पूर्ति के समय से सम्बन्धी प्रावधान निम्न चित्र के माध्यम से दर्शाए गए हैं :

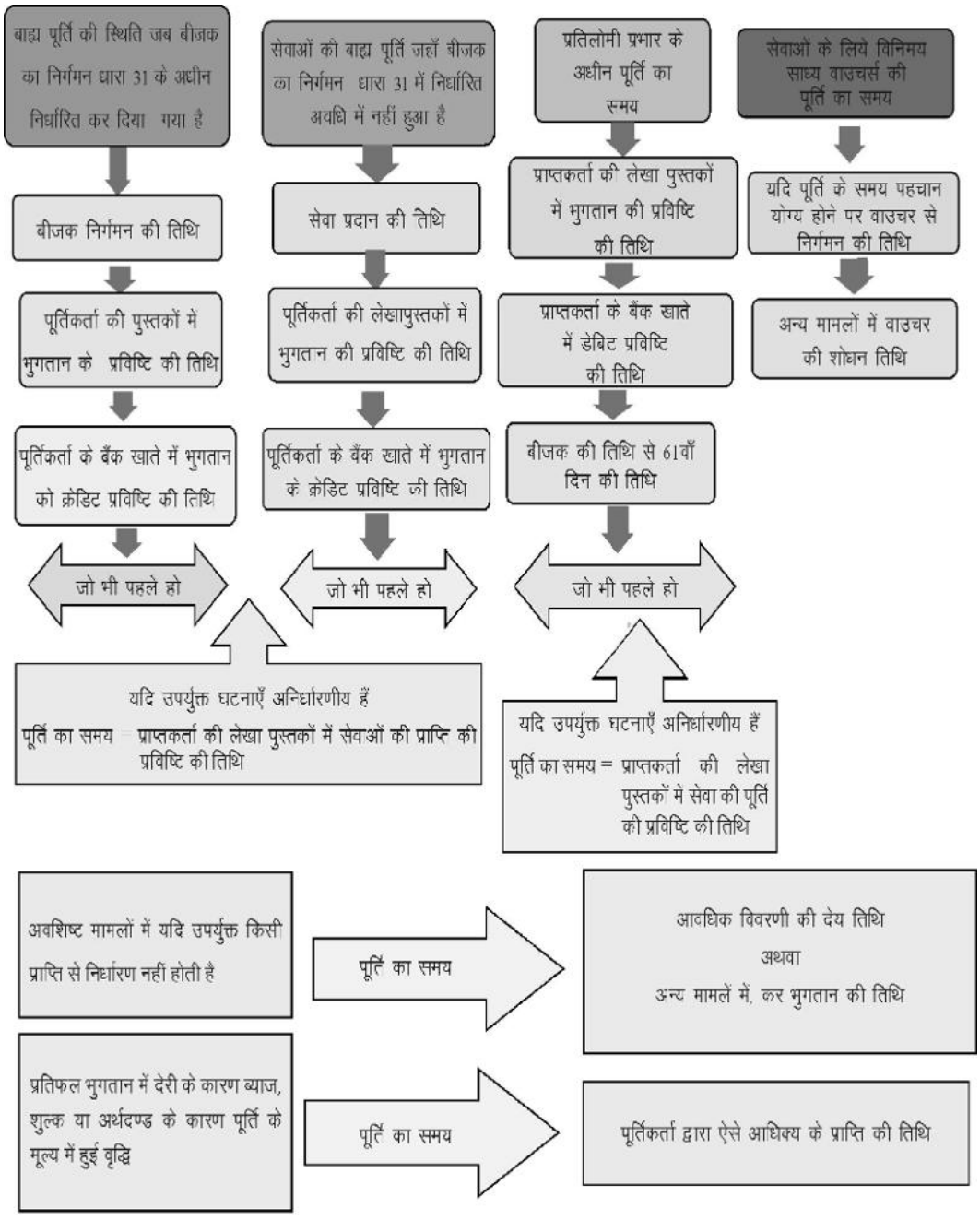

© The Institute of Chartered Accountants of India

5. आओ दोहराएं (Let Us Recapitulate)

माल/सेवाओं की पूर्ति के समय सम्बन्धी प्रावधानों को भली प्रकार समझने के लिये उन्हें एक साथ पढ़ना चाहिये, जिससे दोनों मामलों में समानताएँ और विषमताएँ समझ में आ सके। अतः ऐसे प्रावधानों को तुलनात्मक तालिका के रूप में सारांशित किया गया है, जिससे कि विद्यार्थी प्रावधानों को भली प्रकार समझकर स्मरण रख सके।

पूर्ति का समय जब कर बाह्य प्रभार के अन्तर्गत देय है

माल की पूर्ति का समय [धारा 12(2)]	**सेवाओं की पूर्ति का समय** [धारा 13(2)]
निम्न में से पूर्ववर्ती : (a) धारा 31 के अनुसार पूर्ति से सम्बन्धित बीजक निर्गमन की अपेक्षित देय तिथि अथवा पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक निर्गमन की वास्तविक तिथि; (b) (लेखा पुस्तकों में क्रेडिट प्रविष्टि की तिथि अथवा बैंक खाते में क्रेडिट प्रविष्टि की तिथि जो भी पहले हो) पूर्ति के सम्बन्ध में वह तिथि जिसको पूर्तिकर्ता भुगतान प्राप्त करता है। ***माल की पूर्ति हेतु प्राप्त अग्रिम राशियों पर कोई GST नहीं :*** *एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति की स्थिति में (संघटक पूर्तिकर्ता रहित), GST माल की बाह्य पूर्ति पर बीजक के निर्गमन की तिथि पर या वह अंतिम तिथि जिस पर बीजक धारा 31 के अनुसार निर्गमित किया जाना है, भुगतान किया जाता है* ***[अधिसूचना संख्या 66/2017 CT तिथि 15.11.2017] ।***	(a) धारा 31 के अधीन बीजक निर्गमन की अपेक्षित समयावधि में बीजक निर्गमन **निम्न में से पूर्ववर्ती :** ➔ पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक निर्गमन की तिथि ➔ भुगतान प्राप्ति की तिथि (लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि अथवा बैंक खाते में क्रेडिट प्रविष्टि की तिथि) जो भी पहले हो (b) जब बीजक का निर्गमन निर्धारित अवधि में नहीं किया गया है **निम्न में से पूर्ववर्ती :** ➔ सेवा के प्रावधान की तिथि ➔ भुगतान प्राप्ति की तिथि (लेखा पुस्तकों में क्रेडिट प्रविष्टि की तिथि या बैंक खाते में क्रेडिट प्रविष्टि की तिथि जो भी पहले हो) (c) जब उपर्युक्त घटनाएँ अनिर्धारणीय हों ➔ जब प्राप्तकर्ता अपनी लेखा पुस्तकों में सेवाओं की प्राप्ति जिस तिथि को रिकॉर्ड करता है

© The Institute of Chartered Accountants of India

बीजकों के निर्गमन हेतु सामान्य समय सीमा

माल की पूर्ति [धारा 31(1)]	सेवाओं की पूर्ति [धारा 31(2)]
निम्न के समय से पूर्व : (a) जब पूर्ति के लिये माल की निकासी निहित हो–प्रापक को निकासी की तिथि (b) अन्य मामलों में–प्रापक को माल की सुपुर्दगी या उसकी उपलब्धि	**सेवा प्रदान करने से पूर्व या पश्चात्** सेवा प्रदान करने से पूर्व या पश्चात् परन्तु 30 दिन के अन्दर (बीमा कं./ बैंकिंग कं./वित्तीय संस्थान, NBFC सहित, पूर्ति की तिथि से 45 दिन के अन्दर) सेवाओं की पूर्ति की तिथि से

'पूर्ति का समय' जहाँ कर प्रतिलोमी प्रभार के अन्तर्गत देय हो

माल की पूर्ति का समय [धारा 12(3)]	सेवाओं की पूर्ति का तिथि [धारा 13(3)]
निम्न में से पूर्ववर्ती : (a) माल प्राप्ति की तिथि, अथवा (b) भुगतान की तिथि–जैसी कि प्रापक की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि अथवा बैंक खाते में क्रेडिट प्रविष्टि की तिथि–जो भी पहले हो (c) बीजक निर्गमन की तिथि से 31वें दिन की तिथि	**निम्न में से पूर्ववर्ती :** (a) भुगतान की तिथि–प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि अथवा उसके बैंक खाते में डेबिट प्रविष्टि की तिथि, जो भी पहले हो (b) बीजक निर्गमन की तिथि से 61वें दिन की तिथि
यदि उपर्युक्त तिथियाँ निर्धारणीय न हों, तो पूर्ति का समय ऐसी तिथि होगी, जिस दिन प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में प्राप्ति की प्रविष्टि की गयी है।	
	सहयोगी उद्यम से सेवाओं का आयात प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में प्राप्ति की प्रविष्टि की तिथि अथवा भुगतान की तिथि जो भी पहले हो

माल एवं सेवाओं हेतु विनिमयार्थ वाउचर्स की पूर्ति का समय

माल एवं सेवाओं हेतु विनिमयार्थ वाउचर्स की पूर्ति [धारा 12(4) और 13(4)]
(a) यदि माल/सेवाओं की पूर्ति वाउचर निर्गमन के समय पहचान योग्य है : ➔ वाउचर निर्गमन की तिथि (b) अन्य मामलों में ➔ वाउचर्स शोधन की तिथि

© The Institute of Chartered Accountants of India

शेष स्थितियों में माल एवं सेवाओं की पूर्ति का समय

शेष स्थितियों में माल एवं सेवाओं की पूर्ति [धारा 12(5) और 13(5)]
(a) यदि आवधिक विवरणी की प्रस्तुति अपेक्षित है : ➔ विवरणी प्रस्तुति की देय तिथि
(b) अन्य मामले : ➔ कर भुगतान की तिथि

प्रतिफल के विलम्बित भुगतान हेतु ब्याज/विलंब शुल्क/अर्थदण्ड द्वारा मूल्यवृद्धि हेतु पूर्ति का समय

प्रतिफल के विलम्बित भुगतान हेतु ब्याज, विलंब शुल्क/अर्थदण्ड के माध्यम से मूल्यवृद्धि पूर्ति का समय : पूर्तिकर्ता के विकल्प पर ऐसी तिथि जब उसको आधिक्य प्राप्त होता है।

माल/सेवाओं की पूर्तियों में विनिमय साध्य वाउचर्स की पूर्ति के समय के निर्धारण सम्बन्धी प्रावधान, माल या सेवाओं दोनों स्थिति में एकसमान हैं। इसी प्रकार अवशिष्ट श्रेणी की माल/सेवाओं की पूर्तियों के समय सम्बन्धी प्रावधान भी एकसमान हैं जो माल या सेवाओं दोनों पर समान लागू होते हैं। इसी प्रकार, प्रतिफल देरी से भुगतान के कारण ब्याज, शुल्क या अर्थदण्ड रूपी पूर्ति के मूल्य में आधिक्य के मामलों में भी, प्रावधान समान रूप से माल और सेवाओं पर लागू होते हैं।

इसके साथ ₹ 1,000 तक, बीजक मूल्य से अधिक राशि की प्राप्ति के मामलों में भी प्रावधान माल और सेवाओं पर समान रूप से लागू होते हैं। जिसमें 'भुगतान प्राप्ति की तिथि' और 'जहाँ तक सेवाओं के भुगतान का सम्बन्ध है' महत्वपूर्ण प्रावधान है।

विद्यार्थी उपर्युक्त बिन्दुओं को नोट करके समानता के बिन्दुओं को समझ सकेंगे, जिससे उन्हें स्मरण रखने में सहायता रहेगी।

6. अपने ज्ञान को परखें (Test Your Knowledge)

1. CGST Act की धारा 12 के अनुसार प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान प्राप्ति की तिथि :
   (a) लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि
   (b) बैंक खाते में क्रेडिट की तिथि
   (c) लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि या बैंक खाते में क्रेडिट की तिथि, जो भी पहले हो
   (d) जिस तिथि को पूर्तिकर्ता द्वारा क्रेडिट वाउचर निर्गमित किया गया है

© The Institute of Chartered Accountants of India

2. प्रतिलोमी प्रभार के अधीन कर योग्य माल की पूर्ति का समय क्या है?

   (a) माल प्राप्ति की तिथि

   (b) भुगतान करने की तिथि

   (c) पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक निर्गमन की तिथि से 30 दिन पश्चात की तिथि

   (d) उपर्युक्त (a), (b) या (c) में जो पहले हो

3. जब वाउचर्स की पूर्ति पहचाने जाने योग्य हो, ऐसे वाउचर्स की पूर्ति का समय क्या है?

   (a) वाउचर निर्गमन की तिथि

   (b) वाउचर शोधन की तिथि

   (c) लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि

   (d) उपर्युक्त (a), (b) या (c) में जो भी पहले हो

4. जब वाउचर्स की पूर्ति पहचाने जाने योग्य नहीं हो, ऐसे वाउचर्स की पूर्ति का समय क्या है?

   (a) वाउचर निर्गमन की तिथि

   (b) वाउचर शोधन की तिथि

   (c) लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि

   (d) उपर्युक्त (a), (b) या (c) में जो भी पहले हो

5. सेवा की पूर्ति का समय क्या होगा? यदि बीजक का निर्गमन सेवा प्रदान की तिथि से 30 दिन के अन्दर कर दिया गया है :

   (a) बीजक निर्गमन की तिथि

   (b) पूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान प्राप्ति की तिथि

   (c) सेवा प्रदान की तिथि

   (d) उपर्युक्त (a) या (b) जो भी पहले हो

6. सेवा की पूर्ति का समय क्या होगा? यदि बीजक का निर्गमन सेवा प्रदान के 30 दिन के अन्दर नहीं किया गया है :

   (a) बीजक निर्गमन की तिथि

   (b) ऐसी तिथि जब पूर्तिकर्ता भुगतान प्राप्त करता है

   (c) सेवा प्रदान की तिथि

   (d) उपर्युक्त (b) या (c) में पूर्ववर्ती

© The Institute of Chartered Accountants of India

7. प्रतिलोमी प्रभार के अधीन सेवा की पूर्ति का समय क्या होता है ?

(a) पूर्तिकर्ता को भुगतान की तिथि

(b) बीजक निर्गमन से तुरन्त 60 दिन पश्चात की तिथि

(c) बीजक की तिथि

(d) उपर्युक्त (a) या (b) में पूर्ववर्ती

8. भारत से बाहर स्थित सहयोगी उपक्रम से सेवा के आयात की तिथि क्या होगी?

(a) सेवा प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में सेवा प्रविष्टि की तिथि

(b) भुगतान की तिथि

(c) उपर्युक्त (a) या (b) में पूर्ववर्ती

(d) सेवा प्रदाता की पुस्तकों में सेवा प्रविष्टि की तिथि

9. निम्नांकित मामलों में पूर्ति के समय का निर्धारण कीजिये, यह मानते हुए कि GST प्रतिलोमी प्रभार के अधीन देय है :

क्र. सं.	माल प्राप्ति की तिथि	माल के प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान की तिथि	माल के पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक के निर्गमन की तिथि
	(1)	(2)	(3)
(i)	1 जुलाई	10 अगस्त	29 जून
(ii)	1 जुलाई	25 जून	29 जून
(iii)	1 जुलाई	आंशिक भुगतान 30 जून को और शेष राशि का भुगतान 20 जुलाई को	29 जून
(iv)	5 जुलाई	लेखा पुस्तकों में भुगतान की प्रविष्टि 28 जून को हुई और प्राप्तकर्ता बैंक खाते में डेबिट प्रविष्टि 30 जून को हुई है	1 जून
(v)	1 जुलाई	लेखा पुस्तकों में भुगतान की प्रविष्टि 30 जून है और प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में डेबिट प्रविष्टि 26 जून को हुई है	29 जून
(vi)	1 अगस्त	10 अगस्त	29 जून

© The Institute of Chartered Accountants of India

10. निम्नांकित मामलों में पूर्ति के समय का निर्धारण यह मानकर कीजिए कि GST प्रतिलोमी प्रभार के अधीन देय है :

क्र. सं.	सेवाओं की पूर्ति हेतु प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान की तिथि	सेवाओं की पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक के निर्गमन की तिथि
	(1)	(3)
(i)	10 अगस्त	29 जून
(ii)	10 अगस्त	1 जून
(iii)	आंशिक भुगतान 30 जून को और शेष राशि का भुगतान 1 सितम्बर को किया	29 जून
(iv)	लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि 28 जून को की गयी और बैंक खाते में डेबिट प्रविष्टि 30 जून को की गयी	1 जून
(v)	लेखा पुस्तकों में भुगतान की प्रविष्टि 30 जून को और बैंक खाते में डेबिट प्रविष्टि 26 जून को हुई है।	29 जून

11. कबीरा एण्ड लि. ने 17 जून को एक प्रेषण परिवहनकर्ता द्वारा सड़कमार्ग से भेजने के लिये, उसी दिन अग्रिम भुगतान किया। फैक्टरी में हड़ताल के कारण प्रेषण तुरन्त नहीं भेजा जा सका और वास्तव में 20 जुलाई को भेजा गया जिसका बीजक परिवहक से 22 जुलाई को प्राप्त हुआ।

परिवहनकर्ता की सेवा की पूर्ति का समय क्या है?

नोट : परिवहनकर्ता की सेवा प्रतिलोमी प्रभार के अधीन कर योग्य है।

12. राजू प्रा. लि. को वास्तुशिल्पी डिजाइन सम्बन्धी सेवा के लिये आदेश और अग्रिम भुगतान 5 जनवरी को प्राप्त हुआ। उसने 23 अप्रैल को डिजाइन भेज दी। और मूल से उस समय कोई बीजक निर्गमित नहीं किया गया और बाद में निर्धारित अवधि समाप्त होने पर निर्गमित किया गया।

सेवा की पूर्ति का समय क्या है?

13. अनुसंधान से प्रकट होता है कि सेरेमिक कैपेसिटर्स के 150 डिब्बे 2 अगस्त को प्रेषित किये गये परन्तु कोई बीजक निर्गमित नहीं किया गया और प्रेषण की लेखा पुस्तकों में भी कोई प्रविष्टि नहीं की गयी। भुगतान की प्राप्ति का कोई सबूत नहीं था।

कर के भुगतान के उद्देश्य हेतु 150 डिब्बों की पूर्ति का समय क्या है?

© The Institute of Chartered Accountants of India

14. राम एण्ड क. को प्रेषित आदेश में 18 अगस्त को विशेष प्रकार के जूते भेजने को कहा गया। राम एण्ड कं. ने प्रेषण तैयार करके ग्राहक को सूचित किया और 2 दिसम्बर को बीजक निर्गमित किया, ग्राहक ने 7 दिसम्बर को राम एण्ड कं. से प्रेषण प्राप्त किया और उसी दिन भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर दिया, जिसकी प्रविष्टि अगले दिन 8 दिसम्बर को खाते में की गयी।

कर के भुगतान के उद्देश्य हेतु जूतों की पूर्ति का समय क्या है?

15. सोडेक्सो मील कूपनों को 9 अगस्त को एक कम्पनी को बेचा गया, जिनको कम्पनी अपने कर्मचारियों को वितरित करेगी। कूपन 6 माह के लिये वैध है, और खाद्य मदों के क्रय के विरुद्ध शोधन किया जा सकता है। कर्मचारियों ने उनका प्रयोग विभिन्न स्टोर्स पर विभिन्न खाद्य पदार्थों के क्रय में 6 माह तक किया।

कूपन की पूर्ति की तिथि क्या है?

16. ABC Ltd. को प्रदत्त सेवाओं के लिये वकीलों की एक फर्म ने 17 फरवरी को बीजक निर्गमित किया जिसका भुगतान ABC Ltd. ने फर्म पर लापरवाही का आरोप लगाकर रोक लिया। न्यायालय में कम्पनी का मुकद्मा खारिज हो गया, क्योंकि फर्म हाजिर नहीं हुई थी, फर्म को पुनः न्यायालय में उपस्थित होना था जिसके लिये कम्पनी को बिल भेजा गया था। विवाद बढ़ता रहा, अन्त में 3 नवम्बर को भुगतान किया गया।

नोट : प्रतिलोमी प्रभार आधार पर विधायी सेवाएँ करयोग्य होती हैं।

विधायी सेवाओं के लिये पूर्ति का समय निर्धारित कीजिये।

17. मॉडर्न सिक्यूरिटी सर्विसेज कं. विद्युत् उपकरणों के परीक्षण की सेवाएं प्रदान करती है। एक मामले में इन्होंने उपकरणों को बैच में, 4 और 5 सितम्बर को परीक्षण किया परन्तु 19 नवम्बर तक बीजक निर्गमित नहीं कर सके क्योंकि उपकरणों की वापसी पर उनकी स्थिति के बारे में विवाद था। दिसम्बर माह में भुगतान किया गया।

सेवा की पूर्ति के समय निर्धारण की क्या प्रणाली होगी ?

7. उत्तर / संकेत (Answer/Hints)

1. (c) **2.** (d) **3.** (a) **4.** (b) **5.** (d) **6.** (d) **7.** (d) **8.** (c)

© The Institute of Chartered Accountants of India

9.

क्र.सं.	माल की प्राप्ति की तिथि	माल के प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान की तिथि	माल के पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक के निर्गमन की तिथि	बीजक की तिथि से तत्काल 30 दिन पश्चात की तिथि	माल की पूर्ति का समय [(1) (2) और (4) में से जो पहले हो]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i)	1 जुलाई	10 अगस्त	29 जून	30 जुलाई	1 जुलाई
(ii)	1 जुलाई	25 जून	29 जून	30 जुलाई	25 जून
(iii)	1 जुलाई	30 जून को आंशिक भुगतान और शेष राशि का भुगतान 20 जुलाई को किया गया है	29 जून	30 जुलाई	आंशिक भुगतान की तिथि 30 जून और 1 जुलाई शेष राशि की पूर्ति के लिये
(iv)	5 जुलाई	लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि 28 जून है, जबकि प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में 30 जून को प्रविष्टि हुई है।	1 जून	2 जुलाई	28 जून (अर्थात् प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि)
(v)	1 जुलाई	लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि 30 जून को की गयी और प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में डेबिट प्रविष्टि 26 जून को हुई है।	29 जून	30 जुलाई	26 जून (अर्थात् प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में डेबिट प्रविष्टि की तिथि)
(vi)	1 अगस्त	10 अगस्त	29 जून	30 जुलाई	30 जुलाई (अर्थात् 31वाँ दिन, बीजक निर्गमन की तिथि से

© The Institute of Chartered Accountants of India

10.

क्र.सं.	सेवाओं की पूर्ति हेतु प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान की तिथि	सेवाओं के पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक निर्गमन की तिथि	बीजक से तत्काल 60वें दिन पश्चात की तिथि	माल की पूर्ति का समय [(1) एवं (3) में से जो पहले हो]
	(1)	(2)	(3)	
(i)	10 अगस्त	29 जून	29 अगस्त	10 अगस्त
(ii)	10 अगस्त	1 जून	1 अगस्त	1 अगस्त
(iii)	आंशिक भुगतान 30 जून को और शेष राशि का भुगतान 1 सितम्बर को किया गया।	29 जून	29 अगस्त	30 जून को आंशिक भुगतान शेष राशि का 29 अगस्त को भुगतान
(iv)	लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि 28 जून है और प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में डेबिट प्रविष्टि की तिथि 30 जून है।	1 जून	1 अगस्त	28 जून (अर्थात्, जब भुगतान की प्रविष्टि प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में की गयी है)।
(v)	लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि 30 जून है और बैंक खाते में डेबिट की तिथि 26 जून है।	29 जून	29 अगस्त	26 जून (अर्थात्, जब प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में भुगतान डेबिट किया गया है)।

11. धारा 13 (3) के अनुसार प्रतिलोमी प्रभार के अंतर्गत करयोग्य सेवा की पूर्ति का समय निम्न दो तिथियों में से पूर्ववर्ती तिथि है :

- भुगतान की तिथि
- बीजक के निर्गमन की तिथि से 61वाँ दिन

इस स्थिति में, भुगतान की तिथि सेवा के पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक के निर्गमन की तिथि से 61 दिन के तिथि से पहले है। इसलिए, 17 जून, जो कि भुगतान की तिथि है, सेवा की पूर्ति के समय के रूप में मानी जाएगी। [धारा 13(3) (a)]

12. चूँकि बीजक निर्दिष्ट समयावधि के अंतर्गत निर्गमित नहीं किया गया है, तो सेवा की पूर्ति का समय धारा 13 (2) (b) के अनुसार निम्न दो तिथियों में से पूववर्ती तिथि होगी :

- सेवा प्रदान करने की तिथि

© The Institute of Chartered Accountants of India

- भुगतान प्राप्त की तिथि

भुगतान 5 जनवरी को प्राप्त किया गया तथा सेवा 23 अप्रैल को प्रदान की गई। इसलिए, भुगतान की तिथि अर्थात् 5 जनवरी इस स्थिति में सेवा की पूर्ति का समय है।

13. अधिसूचना संख्या 66/2017 CT तिथि 15.11.2017 के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति को (संघटक पूर्तिकर्ता रहित) धारा 12 (2) (a) में निर्दिष्टानुसार पूर्ति के समय माल की बाह्य पूर्ति पर GST का भुगतान करना होगा अर्थात् बीजक के निर्गमन की तिथि या वह अंतिम तिथि जिस पर धारा 31 के अनुसार बीजक निर्गमन किया जाना था।

इस स्थिति में चूँकि बीजक निर्गमित नहीं किया गया है पूर्ति का समय वह अंतिम तिथि होगी, जिस पर बीजक का निर्गमित किया जाना आवश्यक था।

माल की पूर्ति हेतु बीजक माल के प्रेषण पर या उससे पूर्व अर्थात् 2 अगस्त को निर्गमित किया जाना चाहिए। अतएव, माल की पूर्ति का समय 2 अगस्त होगा, वह तिथि जिस पर बीजक निर्गमित किया जाना चाहिए।

14. अधिसूचना संख्या 66/2017 CT तिथि 15.11.2017 के अनुसार एक पंजीकृत व्यक्ति को (संघटक पूर्तिकर्ता रहित) धारा 12 (2) (a) में निर्दिष्टानुसार पूर्ति के समय माल की बाह्य पूर्ति पर GST का भुगतान करना होगा अर्थात् बीजक के निर्गमन की तिथि या वह अंतिम तिथि जिस पर धारा 31 के अनुसार बीजक निर्गमित किया जाना था। इस स्थिति में, बीजक को माल की निकासी से पूर्व निर्गमित किया गया है और इसलिए यह धारा 31(1) के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत है। इसलिए, पूर्ति का समय बीजक के निर्गमन की तिथि है जो कि 2 दिसम्बर है।

15. चूंकि कूपन विभिन्न भोज्य पदार्थों हेतु प्रयुक्त किए जा सकते हैं, जो विभिन्न दरों पर करयोग्य होते हैं पूर्ति कूपनों के क्रय के समय अभिज्ञात नहीं की जा सकती। इसलिए कूपनों की पूर्ति का समय धारा 12 (4) के अनुसार उनकी शोधन की तिथि है।

16. सेवाओं की पूर्ति का समय जो प्रतिलोमी प्रभार के अन्तर्गत करयोग्य होती है, धारा 13(3) के अनुसार निम्नांकित दो तिथियों मे से पूर्ववर्ती तिथि होती है :

- भुगतान की तिथि (3 नवम्बर)
- बीजक के निर्गमन की तिथि से 61 वीं तिथि (19 अप्रैल)

भुगतान की तिथि सेवा के पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक के निर्गमन से 61वीं तिथि के पश्चात् है। इसलिए पूर्तिकर्ता के बीजक से 61वीं तिथि पूर्ति के समय के रूप में ली गई है। यह 19 अप्रैल को पूर्ति के समय के रूप में निर्धारित करती है।

17. सेवाओं की पूर्ति का समय, यदि बीजक समय से निर्गमित न किया गया हो, तो भुगतान की तिथि या सेवा प्रदान की तिथि, जो भी पहले हो, होती है [धारा 13 (2) (b)]। इस स्थिति में, सेवा 5 सितम्बर को प्रदान की गई है लेकिन निर्दिष्ट समयावधि के अंतर्गत बीजक नहीं बनाया गया है। अतः सेवा प्रदान की तिथि अर्थात् 5 सितम्बर, पूर्ति का समय होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India